आवास भारती

वर्ष 20 | अंक 77 | अक्तूबर-दिसंबर, 2020

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका "आवास भारती" हेतु दिल्ली बैंक नराकास से प्राप्त ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र के साथ बैंक के निदेशक श्री गया प्रसाद, उप महानिदेशक (ग्रामीण आवास), संयुक्त सचिव स्तर, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं बैंक के उच्चाधिकारीगण

बैंक के निदेशक, प्रबंध निदेशक एवं उच्चाधिकारीगण प्राप्त ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र के साथ

दिल्ली बैंक नराकास से प्राप्त ट्रॉफी

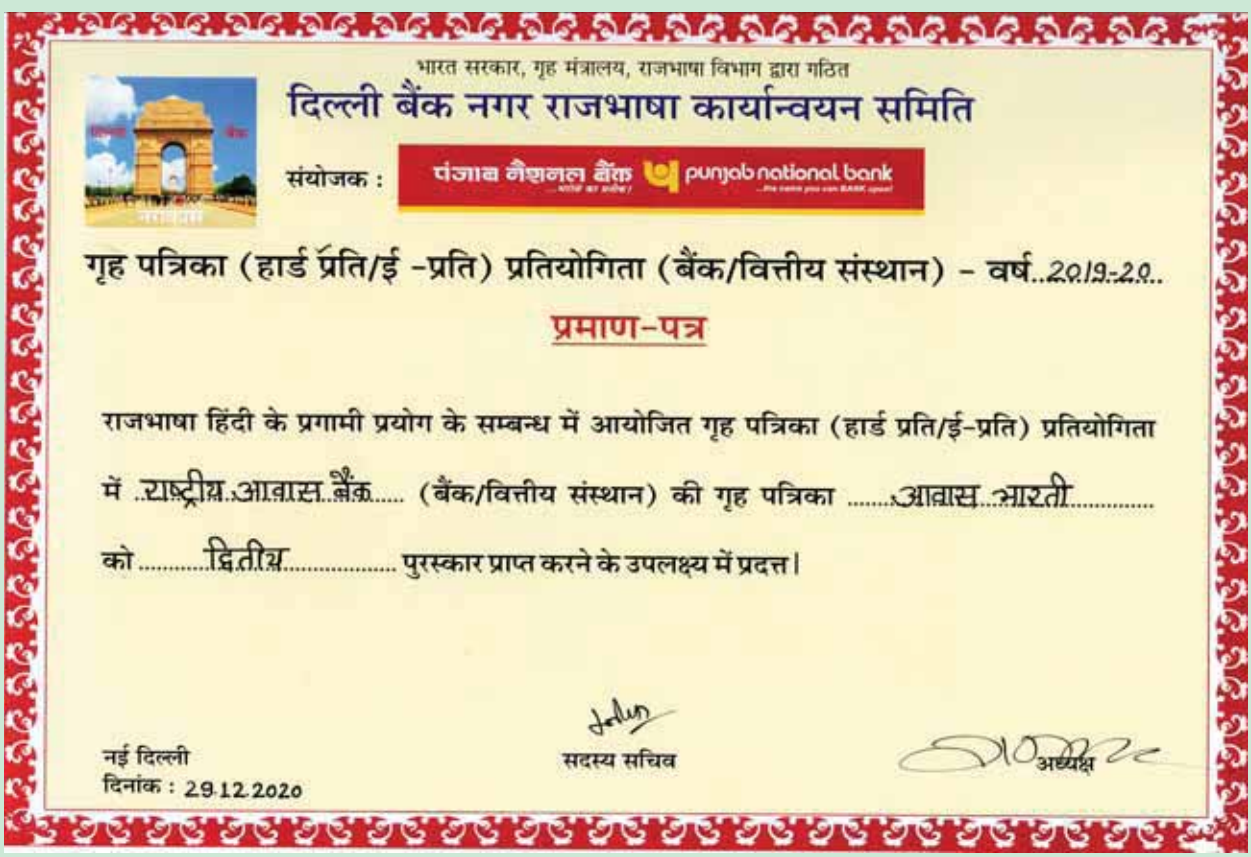

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा गठित

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संयोजक : पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

गृह पत्रिका (हार्ड प्रति/ई -प्रति) प्रतियोगिता (बैंक/वित्तीय संस्थान) - वर्ष 2019-20

प्रमाण-पत्र

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में आयोजित गृह पत्रिका (हार्ड प्रति/ई-प्रति) प्रतियोगिता में राष्ट्रीय आवास बैंक (बैंक/वित्तीय संस्थान) की गृह पत्रिका आवास भारती को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने के उपलक्ष्य में प्रदत्त।

नई दिल्ली
दिनांक : 29.12.2020

सदस्य सचिव

अध्यक्ष

मुख्य सतर्कता अधिकारी की कलम से...

यह मेरे लिये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मैं राष्ट्रीय आवास बैंक की प्रतिष्ठित हिंदी गृह पत्रिका "आवास भारती" के इस अंक के माध्यम से बैंक के अधिकारियों तथा पत्रिका के प्रबुद्ध पाठकों के समक्ष अपने विचार रख रहा हूँ।

मेरे द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के स्वर्णिम इतिहास की परंपरा के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इसकी भावी योजनाओं में अंशदान कर पाऊंगा। मेरा हमेशा से यह विश्वास रहा है कि एक स्वस्थ एवं सतर्क बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को स्पर्श करती है तथा विभिन्न एकको का बेहतर ताल–मेल देश की प्रगति में कारगर सिद्ध होता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की शहरी आबादी में 10 वर्ष के दौरान 9.1 करोड़ की वृद्धि हुई है एवं यूनाइटेड नेशन्स द्वारा किये गये एक सर्वे के मुताबिक वर्ष 2030 तक देश की करीब 41% जनसंख्या शहरों में निवास करेगी। वर्ष 2015 में आरंभ की गयी "प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी)" 25 जून, 2015 को आरंभ की गयी है एवं भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि इस योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा मकानों का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। "सबके लिये आवास" योजना आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मिशन मोड में संचालित एक कार्यक्रम है एवं यह लक्ष्य रखा गया है कि जब वर्ष 2022 में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो तब तक सभी आश्रयहीन परिवारों को शहरी क्षेत्रों में घर उपलब्ध कराया जाये। इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन में राष्ट्रीय आवास बैंक भी अपना प्रभावी योगदान दे रहा है एवं बैंक द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी)" के तहत अब तक 11.50 लाख परिवारों के लिये लगभग 25 हजार करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गयी है।

देश के बैंक एवं आवास वित्त कंपनियां लोगों को आवास ऋण उपलब्ध कराने में प्रमुख योगदान दे रहें हैं एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा भी अपनी विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं के माध्यम से प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को यथा संभव पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुनर्वित्त संवितरण में नये–नये कीर्तिमान स्थापित किये जा रहे हैं। वर्ष 2019–20 में ही बैंक द्वारा रिकॉर्ड 31,258 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त संवितरण किया गया। बैंक द्वारा 30 जून, 2020 तक कुल संचयी पुनर्वित्त संवितरण 2,67,962 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

मेरा मानना है कि आने वाले समय में देश में आवास ऋण की मांग और बढ़ेगी तथा इसके लिये प्राथमिक ऋणदाता संस्थान, आवास वित्त कंपनियां एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आदि को व्यवस्थित एवं और पारदर्शी रूप से कार्य करना होगा एवं विशेष रूप से अपनी ब्याज दरों के प्रकटन में पारदर्शिता बरतनी होगी जिससे एक तरफ ग्राहकों में विश्वास पैदा होगा तथा दूसरी तरफ संस्थानों की साख भी मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त, सभी संस्थानों को अपनी शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक सशक्त एवं त्वरित बनाने की आवश्यकता है जिससे वे ग्राहकों की समस्याओं का निवारण जल्दी से जल्दी कर सकें। ऐसा करने से ग्राहकों का विश्वास बैंकिंग प्रणाली में मजबूत होगा और वित्तीय समावेशन को बल मिलेगा।

मेरा मानना है कि संस्थान "स्वः विनियमन" संकल्पना तथा अनुपालन संस्कृति को अपनाये एवं अपनी कार्य योजना एवं नीतियों को इस प्रकार से बनाये एवं संचालित करे जिससे विभिन्न विनियामक प्रावधानों के अनुपालन के साथ–साथ उनका भी ठोस विकास हो।

मुझे उम्मीद है कि पाठकों को "आवास भारती" पत्रिका का यह अंक पसंद आयेगा। मेरी तरफ से सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनायें।

(विजय कुमार त्यागी)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

आप की पाती

महोदय,

उपरोक्त पत्रिका के प्रकाशन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा आपकी सहारना की जाती है। हिंदी को सरकारी कामकाज में बढ़ावा देना हम सभी का संवैधानिक दायित्व है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था– "राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है"। हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास स्वरूप प्रकाशित पत्रिका का अवलोकन एवं अध्ययन करने पर निम्न सुझाव दिए जा रहे हैं, जिससे पत्रिका भविष्य में अधिक प्रेरणाप्रद एवं विचारोत्तेजक रूप में केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए प्रेरित करने में प्रभावशाली भूमिका निभा सके–

1. चित्रों की संख्या कम की जाए।
2. राजभाषा विभाग के ई–टूल्स का प्रचार किया जाए जिसके द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए निर्मित सूचना प्रौद्योगिकी के उन उपकरणों की जानकारी दी जाए जिससे हिंदी में मूल काम करने में सहायता मिले यथा लीला राजभाषा, लीला प्रवाह, ई–महाशब्दकोश, ई–सरल वाक्यकोश, ई–लर्निंग प्लेटफार्म।
3. स्मार्ट सिटी एवं साइबर सुरक्षा, हरित आवास, बढ़ते कदम रचनाएं सराहनीय है।

आशा है आप भविष्य में भी राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के प्रति इसी प्रकार निष्ठा एवं समर्पण से प्रयास जारी रखेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

(मंजुला सक्सेना)

उप सचिव (अनुसंधान)

महोदय,

"राष्ट्रीय आवास बैंक" की गृह पत्रिका "आवास भारती" जुलाई–सितंबर 2020 का 76 वां अंक प्राप्त हुआ एतदर्थ सादर धन्यावद। पत्रिका में इण्डियन ओवरसीज बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ एवं संबद्ध शाखाओं के दो स्टॉफ सदस्यों श्री आदर्श गुप्ता एवं श्री पवन कुमार जी का आलेख प्रकाशित हुआ है इसके लिए ओवरसीज बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की तरफ से हार्दिक आभार स्वीकार करें।

पत्रिका का अनुशीलन करने पर पाया कि इतनी उत्कृष्ट कोटि की बैंकिग पत्रिका का सम्पादन आपके हाथों से ही संभव था। पत्रिका की नयनभिरामिता बहुत उत्कृष्ट कोटि की है और इसके लिए आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। निःसंदेह पत्रिका राजभाषा कार्यान्वयन का एक सशक्त हस्ताक्षर है। पत्रिका का हर आलेख देश के आवासीय क्षेत्र को नई दिशा दिखाने वाला है। निश्चित रूप से आने वाला समय हरित आवास का है और भविष्य के शहरों की संकल्पना में सभी लेखकों के विचार निश्चित तौर पर एक नई राह दिखाएंगे। पत्रिका का विमोचन माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया जो कि पत्रिका की समृद्धिता में विस्तार करता है और इसे एक स्तर प्रदान करता है। प्रबंध निदेशक महोदय, श्री एस.के.होता जी एवं श्री राहुल भावे जी, कार्यपालक निदेशक एवं, श्री वी. वैदीश्वरण जी, श्री सतीश कुमार नागपाल जी एवं श्री सुशांत कुमार पाढ़ी जी, महाप्रबंधक का संदेश काफी प्रेरणाप्रद एवं आवास क्षेत्र को एक राह दिखाने वाला है। मैं, अंक के कुशल संपादन के लिए श्री रंजन कुमार बरून एवं श्री शोभित त्रिपाठी जी सहित पूरी संपादक टीम को हार्दिक बधाईयां देता हूँ।

दिलों के पास
मुस्कान के साथ

(निरंजन पण्डा)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक

इण्डियन ओवरसीज बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
1.	राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	5
2.	ऋण-संयुक्त विस्तारण	7
3.	छत्तीसगढ़ जनजातीय घर	11
4.	फिनटेक - चुनौतियाँ और संभावनाएँ	14
5.	सतर्क भारत - समृद्ध भारत	17
6.	सतर्कता से समृद्धि तक	20
7.	स्मार्ट सिटी : भविष्य के शहर	22
8.	शुक्र ग्रह पर जीवन की खोज	26
9.	नाईट विजन प्रौद्योगिकी	27
10.	डे जीरो और हम	30
11.	बंधक बीमा- संकल्पना	32
12.	सतर्कता: एक व्यवहार	35
13.	मुठभेड़	37
14.	कोरोना योद्धा	40
15.	हिंदी ई-टूल्स का प्रयोग	44
16.	काव्य सुधा	46

कुल तकनीकी लेख	– 07
कुल सामान्य लेख	– 05
कुल योग	– 12

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या, दिल्ली इन / 2001 / 6138

वर्ष 20, अंक 77, अक्तूबर-दिसंबर, 2020

प्रधान संरक्षक
श्री शारदा कुमार होता
प्रबंध निदेशक

संरक्षक
श्री राहुल भावे
कार्यपालक निदेशक

उप संरक्षक
सुशांत कुमार पाढ़ी
महाप्रबंधक

संपादक
रंजन कुमार बरून
उप महाप्रबंधक

सहायक संपादक
शोभित त्रिपाठी
राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल
आर के अरविन्द, सहायक महाप्रबंधक
पंकज चड्ढा, क्षेत्रीय प्रबंधक
राम नारायण चौधरी, प्रबंधक
मनोज कुमार, उप प्रबंधक
कृष्ण चंद्र मौर्य, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

कोर–5 ए, 3–5 वां तल,
भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

संपादक की कलम से...

प्रिय पाठकगण,

आवास भारती का 77 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक अनुभूति हो रही है। इस अंक के माध्यम से हम अपने पाठकों को सहर्ष सूचित करना चाहेंगे कि आवास भारती पत्रिका को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तरफ से दिसम्बर, 2020 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हम इस सम्मान के लिये एक तरफ दिल्ली बैंक नराकास का धन्यवाद करते हैं वहीं दूसरी तरफ उन लेखकों का भी धन्यवाद करते हैं जिनके बेहतर लेखों के माध्यम से हम पत्रिका को उत्कृष्ट स्तर पर ला सके हैं। इसी क्रम में पाठकों का भी धन्यवाद करते हैं जो निरंतर अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव पत्रिका को और उन्नत बनाने के लिये हमें देते रहें हैं।

कोविड–19 का प्रभाव अब धीरे–धीरे देश में कम हो रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था वापस प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है एवं जिंदगी अब लगभग पूर्व की तरह समान गति से उदयमान हो रही है। अगर मैं अपने बैंक की बात करूं तो पूरी शक्ति के साथ अधिकारी अपने काम में जुट गये हैं और कृतसंकल्प हैं कि पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय आवास बैंक उन्नति के नये शिखरों को स्पर्श करे। अर्थव्यवस्था एवं जिंदगी के सामान्य स्तर पर लौटने का एक मुख्य कार्य वैक्सीन की प्राप्ति भी है। दिग्गज भारतीय कंपनियों द्वारा इस दिशा में पायी गयी सफलता भी उल्लेखनीय है। अगर मैं अब मार्च, 2020 से लेकर दिसम्बर, 2020 की अवधि पर गौर करूं तो यह अवधि संभवतः हमें बहुत कुछ सिखा भी गयी है। एक तरफ हमनें आपदा से लड़ना सीखा तो वहीं दूसरी तरफ इस आपदा अवधि में अपने को और अपने कार्य को गतिमान रखा और इससे संबंधित बेहतरीन विकल्पों को भी तलाशा और उनका प्रयोग किया। यह भी देखा गया कि आपदा के समय में कार्यालयों आदि में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति के बिना काम चलता रहे इसके लिये बड़ी–बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रभावी एप्लिकेशंस विकसित किये गये जिनका सफल प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया।

आज प्रातः ही मैंने एक खबर पढ़ी कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बड़े स्तर पर "घर से कार्य" करने की संकल्पना पर विचार किया जा रहा है। पिछले कुछ समय में यह भी देखा गया कि कई देशों में मकानों की कीमतें बढ़ीं एवं लोगों द्वारा बड़े घर क्रय किये गये। इस संबंध में, बहुत सारी कंपनियां अपने कर्मियों को कोविड–19 महामारी के दौर में घर से कार्य करने का विकल्प दे रही थी उसके चलते बहुत सारे कर्मियों ने अपने–अपने घरों में अपना एक छोटा कार्यालय व्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठाये एवं इसके लिये उन्होंने बड़े घरों की ओर रुख भी किया। हालांकि इस प्रकार के दौर में "घर से कार्य" करना एक बेहतरीत विकल्प है जिससे कार्य में व्यवधान पैदा न हो एवं इसके अतिरिक्त वेबेक्स, एमएस टीम जैसे एप्लिकेशन के माध्यम से बैठकों इत्यादि का आयोजन भी अनवरत रूप से हो रहा है। हालांकि दूसरा पक्ष यह भी है कि व्यक्तिगत रूप से बैठकों में संवाद तथा कार्यालय स्तर पर आवश्यक गतिविधियों के लिये दूसरे कर्मियों के साथ व्यक्तिगत समन्वय करते हुए कार्य करना भी अच्छे परिणामों के लिये अनिवार्य प्रतीत होता है।

मुझे लगता है आने वाले समय में कोविड–19 महामारी के दौर के चलते "घर से कार्य" एवं व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के बीच एक बेहतरीन समन्वय स्थापित होगा और इस प्रकार की व्यवस्थायें स्थापित होंगी जिससे इन दोनों विकल्पों के माध्यम से कार्य करने की अनवरत गति बनी रहे।

मुझे उम्मीद है कि पाठकों को हमारा यह अंक पसंद आयेगा और हमें उनकी प्रतिक्रिया जल्द ही प्राप्त होगी।

(रंजन कुमार बरुन)
उप महाप्रबंधक एवं संपादक

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

बैंक द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, बैंक ने अपने संवर्धन अधिदेश के भाग के रूप में कोविड 19 प्रतिबंधों के चलते भौतिक प्रशिक्षण एवं वेबिनार के बजाय छह वेबिनार आयोजित किए है। विभाग ने प्रत्येक वेबिनार में सहभागिता लेने वाले यथा कुल 120 सहभागी सहित 20 आवास वित्त कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ छह वेबिनार आयोजित किए। वेबिनार पीएमएवाई, रा.आ.बैंक की पुनर्वित्त योजना, रा.आ.बैंक के अनुपालन मुद्दे, आस्ति देयता प्रबंधन एवं आवास वित्त में सावधानीपूर्वक उधारी सहित विभिन्न विषयों पर थे। वेबिनार आ.वि.कं. से प्राप्त प्रासंगिकता एवं अनुरोधों पर आधारित थे। वेबिनार अत्यधिक संवादात्मक थे तथा इससे सभी सहभागियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया (फीडबैक) भी प्राप्त हुई।

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली
02.11.2020

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) ने "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" विषय पर वर्ष 2020 हेतु 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अपने मुख्यालय, दिल्ली तथा अपने अन्य क्षेत्रीय एवं प्रतिनिधि कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का आयोजन किया। ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बैंक के सभी अधिकारियों द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने के साथ किया गया। रा.आ. बैंक ने सभी आवास वित्त कंपनियों एवं बैंक से व्यावसायिक संबंध रखने वाली एजेंसियों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुसरण करने हेतु रा.आ.बैंक प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने के लिये प्रोत्साहित किया। इस वर्ष के विषय पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे पोस्टर बनाना, स्लोगन लेखन तथा निबंध लेखन का आयोजन अधिकारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ–साथ रा.आ.बैंक के सहायक कर्मचारियों के लिए किया गया। प्रतियोगिताओं में सभी ने बढ़–चढ़कर भाग लिया।

समापन कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया गया, जिसमें श्री एस के होता, प्रबंध निदेशक, रा.आ.बैंक एवं श्री एस के नागपाल, मुख्य सतर्कता अधिकारी, रा.आ.बैंक की उपस्थिति में मुख्य अतिथि के रूप में सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग, श्री सुरेश एन पटेल ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बैठक में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। श्री एस के होता, प्रबंध निदेशक, रा.आ.बैंक ने सभी अधिकारीगण को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में श्री सुरेश एन पटेल का अभिवादन किया। श्री सुरेश एन पटेल, सतर्कता आयुक्त ने नैतिकता के साथ संगठन में दंडात्मक सतर्कता की जगह प्रतिबंधात्मक सतर्कता पर जोर दिया। सतर्कता आयुक्त ने कुशल हाउसकीपिंग उपायों, आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार, कार्य के समयबद्ध निपटान एवं समय और लागत को बढ़ने से रोकने के लिए बैंक के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की महत्ता पर जोर दिया। मुख्य सतर्कता अधिकारी, रा.आ.बैंक ने मुख्य अतिथि को धन्यवाद दिया तथा उन्हें आश्वासित किया कि रा.आ.बैंक सतर्कता बरतने के दृष्टिकोण में हमेशा सक्रिय रहा है और आगे भी रहेगा। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण समारोह एवं पुरस्कार विजेता प्रविष्टियों की वर्चुअल प्रदर्शनी के साथ हुआ।

नव-नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी

विजय कुमार त्यागी
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक,
मुख्य सतर्कता अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)

- एक कैरियर बैंकर जिसने भारत और विदेशों में 37 वर्ष तक विभिन्न मार्गदर्शी भूमिकाओं का निर्वहन किया।
- मार्गदर्शी कार्य का अनुभव जिसके अंतर्गत नेपाल, मॉरीशस, इंडोनेशिया, बोत्सवाना, भूटान, अमेरिका, रूस, कनाडा और यूके जैसे विभिन्न विनियामक न्यायाधिकरणों के तहत भारत और विदेश में बोर्ड स्तरीय अनुभव शामिल है।

शिक्षा, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र:

वाणिज्य में स्नातक, भारतीय बैंकर संस्थान का प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सीएआईआईबी), कार्मिक प्रबंधन में डिप्लोमा (डीआईपीएम आईआईएमएस), प्रमाणित कंपनी अभिशासन व्यावसायिक, भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)	
प्रमाणपत्रित पाठ्यक्रम:	
(i) ब्लॉकचैन: अंडरस्टेंडिंग इट्स यूसस एंड इम्प्लिकेशंस (लाइनक्स फाउंडेशन)	(ii) हाइपरलेजर ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकियों का परिचय (लाइनक्स फाउंडेशन)
(iii) क्राइसेस मैनेजमेंट, (iv) चेंज मैनेजमेंट [हार्वर्ड बिजनेस स्कूल (मैनज मेंटर)]	(v) कार्यनीति निष्पादन ख्हार्वर्ड बिजनेस स्कूल (मैनज मेंटर),

तैनाती का विवरण (पिछले 10 वर्ष)

तैनाती	संगठन का नाम	अवधि
मुख्य सतर्कता अधिकारी	पंजाब नेशनल बैंक, कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली (भारत)	01 जुलाई, 2019 से
निदेशक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई),	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	मई, 2018 से जून, 2019 तक
महाप्रबंधक, (खुदरा और सहायक संस्थाएं)	भारतीय स्टेट बैंक, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह, कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई	सितम्बर, 2016 से मई, 2018 तक
मुख्य परिचालन अधिकारी और उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल	फरवरी, 2012 से सितम्बर, 2016 तक
क्षेत्रीय प्रमुख, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे)	जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र एसबीबीजे, आंचलिक कार्यालय जोधपुर (राजस्थान), भारत	जनवरी, 2011 से फरवरी, 2012 तक
क्षेत्रीय प्रमुख, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे)	पाली और जालोर क्षेत्र, एसबीबीजे, आंचलिक कार्यालय जोधपुर (राजस्थान), भारत	जनवरी, 2010 से जनवरी, 2011 तक
सहायक महाप्रबंधक (कॉरपोरेट क्रेडिट)	क्रेडिट विभाग, एसबीबीजे मुख्यालय, जयपुर (राजस्थान), भारत	जून, 2007 से जनवरी, 2010 तक

धारित बोर्ड पद:

- अध्यक्ष, निदेशक मंडल, बैंक एसबीआई बोत्सवाना, बोत्सवाना, दिसम्बर, 2016 से मई, 2018 तक
- निदेशक, निदेशक मंडल और निदेशक, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी), बोर्ड की कार्यपालक समिति (ईसीओडी), बोर्ड की कंपनी अभिशासन, नामांकन और क्षतिपूर्ति समिति, बोर्ड की समीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति, एसबीआई मॉरीशस लि., मॉरीशस, अक्टूबर, 2016 से मई, 2018 तक
- निदेशक, निदेशक मंडल और एसीबी, बैंक ऑफ भूटान लि., भूटान, नवम्बर, 2016 से मई, 2018 तक
- निदेशक, निदेशक मंडल और एसीबी, नेपाल एसबीआई बैंक लि., काठमांडू, नेपाल, जून, 2016 से मई, 2018 तक

ऋण-संयुक्त विस्तारण

– राम नारायण चौधरी, प्रबंधक

भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 सितंबर 2018 को बैंकों एवं उपयुक्त गैर वित्तीय बैंकिग कंपनियों (एनबीएफसी) के द्वारा संचालित की जाने वाले ऋण की सह– उत्पत्ति (co-origination/co-lending of loan) के अनूठे मॉडल की घोषणा करते हुए एक रूपरेखा तैयार की थी। इस मॉडल का द्वार दिनांक 5 नवंबर, 2020 को आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) हेतु भी अब भा.रि.बैंक द्वारा खोल दिया गया है। इसके तहत आवास वित्त कंपनियों को इस मॉडल के तहत बैंकों के साथ सह–उधार देने की अनुमति मिल गई है एवं इस बारे में आवश्यक रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है। विशेषज्ञों एवं उधारकर्ताओं का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कदम आ.वि.कं. के लिए ब्याज दरों में कमी ला सकते है तथा आवास वित्त क्षेत्र में धनराशि की उपलब्धता पहले से ज्यादा सुदृढ़ होगी। साथ ही, बैंकों के साथ आ.वि.कं./एनबीएफसी की भागीदारी अपेक्षाकृत मजबूत होगी। भा.रि.बैंक का यह कदम देश की आधारभूत संरचना के विकास अर्थव्यवस्था की मजबूती, आ.वि.कं.की आम जनमानस को ऋण के लाभ देने की क्षमता को विस्तार देने में मदद मिलेगी। भा.रि.बैंक ने सितंबर 2018 में इस मॉडल हेतु जारी अपने परिपत्र/विज्ञप्ति में इस मॉडल को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु कुछ दिशा–निर्देश भी दिए थे। इसके अंतर्गत जोखिम और रिवार्ड साझा करने, ब्याज दर, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), ऋण स्वीकृति, साधारण खाता, निगरानी एवं वसूली, प्रतिभूति एवं प्रभार का सृजन, रिपोर्टिंग/प्रावधान (provisioning) आवश्यक ऋण सीमाओं में परिवर्तन/असाइनमेंट, शिकायत निवारण, व्यवसाय निरंतरता योजना (BCP) आदि के बारे में उपयुक्त प्रावधान दिए है। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, लघु वित्त बैंक, अनगिनत इकाईयों को इस मॉडल से अभी दूर रखा गया है।

सह–ऋण उत्पत्ति मॉडल लाने का मुख्य प्रयोजन–

इस मॉडल से पहले भी बैंक तथा एनबीएफसी/आ.वि.कं. अपने विभिन्न ऋण उत्पादों को बाजार में बेचते थे। बैंकों के पास राशि सामान्यताः प्रचुर मात्रा एवं कम ब्याज दर पर उपलब्ध है, जबकि एनबीएफसी/आ.वि.कं. ऋण हेतु बैंकों तथा बाजार पर ज्यादा निर्भर थी। सावधि लोन, अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) तथा बॉण्ड (बॉण्ड) कॅमर्शियल पेपर (सीपी), सावधि जमा (कुछ चुनिंदा कंपनियों हेतु) मुख्य साधन थे। साथ ही एनबीएफसी/आ.वि.कं. अपने ऋणों को प्रत्यक्ष असाइनमेंट (Direct assignment) एवं प्रति प्रतिभूतिकरण (Securitization) द्वारा बैंकों एवं अन्य एनबीएफसी से धन जुटाती थी जिससे व्यापार को जारी रखा जा सकें। ऋण का मुख्य स्त्रोत बैंको या अन्य एनबीएफसी से लिया गया सावधि ऋण एवं अपरिवर्तनीय डिबेंचर एवं बॉण्ड ही थे। इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एवं फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड तथा बाद में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के संकट के उपरांत बाजार में ऋणदाताओं के मन में एनबीएफसी, आ.वि.कं. के

कार्य–प्रणाली के बारे में असमंजस्य पैदा हो गया। इससे कई एनबीएफसी, आ.वि.कं. को ऋण जुटाने में या तो दिक्कत होने लगी या नये ऋण के आयाम सीमित हो गए या बंद हो गये। सरकार के नीतिगत फैसले जैसे विमुद्रीकरण (Demonetization), जीएसटी लागू करना, काले धनों पर नकल कसने, इरादतन चूककर्ता के प्रति सख्त कदम लेने से भारतीय अर्थव्यवस्था एवं ऋण बाजार पहले से ही दबाव झेल रहे थे। आ.वि.कं. एवं डीएचएफएल जैसी विशाल एनबीएफसी की विफलता ने आग में घी डालने का काम किया। विदित हो कि प्राथमिक क्षेत्र जैसे आवास, कृषि एवं कृषि जनित क्षेत्र, लघु एवं मध्यम उद्योग आदि में इन गैर बैंकिग कंपनियों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अहम योगदान रहा है। इन कंपनियों के ऋणों में भारी गिरावट के आने से प्राथमिक क्षेत्र की कमर टूट गई। साथ ही उद्योग विस्तार के क्षेत्र एवं आय सृजन के रास्ते में कई बाधाएं उजागर होने लगी। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भारी गिरावट देखने को मिलने लगी। इससे सरकार भा.रि.बैंक एवं अन्य नीति–निर्धारक संस्थाओं पर "कुछ प्रभावी कदम उठाने" हेतु जोर पड़ने लगा। सम्भवतः कई कारकों में से एक ऊपर बताए गए कारण भी एक मुख्य कारक था जिसने भारत में ऋण उत्पत्ति के मॉडल को एक नए रूप में लाने हेतु मार्ग प्रशस्त किया।

ऋण–उत्पत्ति मॉडल की मुख्य विशेषताएं/बिंदुः

- यह मूल रूप से प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने की एक योजना है। जिसके तहत बैंकों एवं योग्य गैर–वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों के बीच

जोखिम एवं पुरस्कारों (Risks and rewards) को साझा करते हुए ऋण की गतिशीलता को बढ़ावा देते है। भा.रि.बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार सामान्यतः बैंकों की भागीदारी 80% एवं एनबीएफसी/आ.वि.कं. की भागीदारी 20% तक रहेगी। दोनों पार्टी आवश्यक शुल्क, प्रभार, ब्याज दर परस्पर सहमति से एक योजना के तहत लागू करेंगे।

- एनबीएफसी अपने हिस्से के ऋण एक्सपोजर पर स्वतंत्र रूप से कीमत तय करेंगे, जबकि बैंक अपने हिस्से की कीमत अपने जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर तथा समय–समय पर भा.रि.बैंक के दिशा–निर्देशों/नियमों के अनुसार तय करेंगे।
- ऋण देने हेतु उपयुक्त प्रस्ताव को एनबीएफसी द्वारा बैंक से सिफारिश की जाएगी। दोनो पक्ष स्वतंत्र रूप से ऋण प्रस्ताव से जुड़ें जोखिमों का मूल्यांकन करेंगे जिससे संयुक्त रूप से आवेदक उधारकर्ताओं को त्रिपक्षीय समझौता (Tri-partite) के द्वारा ऋण दिया जा सकें।
- बैंक तथा एनबीएफसी एक एस्क्रौ प्रकार का सामान्य खाता खोलेंगे जिसमें ऋण वितरण के समय प्रत्येक पक्ष द्वारा दी जाने वाले ऋण का हिस्सा ऋण वितरण हेतु जमा किया जाएगा। साथ ही, उधारकर्ताओं से समय–समय पर प्राप्त होने वाली जमा/संग्रह राशि रखी जाएगी जिससे दोनों पक्ष तय मानकों के आधार पर उपयोग कर पाएंगे। पहले से किसी भी प्रकार के ऋण पूल बनाने की जरूरत नहीं होगी जो जोखिम को कम करेगा।

- दोनों ऋणदाता संस्थान नियमित रूप से ऋण की निगरानी एवं वसूली हेतु आपसी सहमति से एक रूपरेखा तय करेंगे।
- आपसी सहमति से, ऋणदाताओं के पक्ष अपने हिस्सों के ऋण को एसाइमेंट कर सकते है। साथ ही, वितरित ऋण राशि पर अपेक्षित प्रोविजनिंग (provisioning) दोनों ऋणदाताओं द्वारा अपने–अपने हिस्से के ऋणों पर, लागू दिशा–निर्देशों के अनुसार करना होगा।

- बैंकों के पक्ष में फायदा यह है कि इस योजना के तहत वितरित ऋण राशि को प्राथमिक क्षेत्र को वितरित के रूप में गणना कर पाएंगें।
- एनबीएफसी की प्राथमिक जिम्मेदारी यह होगी कि वे ग्राहक की किसी भी शिकायत का निवारण करेंगे। ग्राहक को ये भी बताएंगे कि सह–उत्पत्ति मॉडल के तहत ऋण उत्पाद अनेक व्यक्तिगत ऋण उत्पाद प्रस्ताव से किस प्रकार भिन्न है। 30 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण हो जाना चाहिए, अन्यथा ग्राहक के पास विकल्प होगा कि वे बैंकिंग/एनबीएफसी लोकपाल को अपने शिकायत दर्ज कराये।

भारत में ऋण–सह उत्पत्ति मॉडल का विभिन्न क्षेत्रों मे प्रभावः

बड़े–बड़े बैंक अपने विशाल शाखा नेटवर्क एवं ऋण हेतु पर्याप्त धन के होने के बावजूद देश के बड़े हिस्सों की पहुंच से अभी भी कोसों दूर है, अर्थात देश की भारी आबादी तक बैंकिग की लेन–देन की सुविधा खासकर ऋण वितरण योजना का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाया है। दूसरी ओर अनेक एनबीएफसी की पहुंच छोटे–छोटे कस्बों, नगरों एवं शहरों तक हैं एवं वे संभावित उधारकर्ताओं के लेन–देन से जमीनी स्तर पर बेहतर समझ रखते है। परंतु, समस्या यह है कि इसके पास बैंकों की तरह ऋण वितरण हेतु राशि की भारी कमी है तथा अपेक्षाकृत महंगे दर पर ऋण लेकर और ज्यादा महंगे दर पर ऋण वितरित करते है। ऊपर बताए गए कई कारणों से एनबीएफसी क्षेत्रों में बैंकों द्वारा वितरीत ऋण के प्रवाह में भारी गिरावट आने से ऋण वितरण की कमर टूट गई तथा इसका सबसे बड़ा प्रभाव प्राथमिक (कृषि, मत्स्य पालन, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग आदि) पर पड़ा। अंततः रोजगार सृजन एवं देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगी है। प्राथमिक क्षेत्रों हेतु निर्धारित ऋण वितरण प्रतिशतता के लक्ष्य को पाना बैंकों के लिए मुश्किल होने लगा है।

सह उद्योग मॉडल आने से यह कयास लगाए जा रहे है कि बैंकों तथा एनबीएफसी दोनों अपनी–अपनी समस्याओं से उबर पाएंगे, देश में आस्तियों (Assets) के निर्माण, रोजगार सृजन एवं सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में बढ़ोतरी हेतु बाजार में धन राशि का निवेश बढ़ेगा। ऋणों की उपलब्धता तथा प्रभाव की गति फिर से रफ्तार पकड़ेगी। अततः प्राथमिक क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। सह–उत्पत्ति मॉडल से होने वाले फायदे एवं प्रभाव को विभिन्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार से देखा जा रहा है।

बैंकों को फायदा:

- बैंक अपने हिस्से के ऋण को प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण दिखाएगी जिससे सरकार द्वारा दिए गये लक्ष्यों को हासिल करने में सुविधा होगी।
- ऋण वितरण हेतु किसी भी प्रकार का पहले से ऋण पूल नहीं बनेगा, बल्कि ऋण वितरण के समय बैंक एवं एनबीएफसी अपने हिस्से के ऋण वितरण हेतु धन राशि उपलब्ध कराएगी। इससे ऋणों का दुरूपयोग होने का खतरा कम होगा।
- भा.रि.बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा एकल और समूह उधारकर्ताओं को दी जाने वाली ऋण राशि की ऊपरी सीमा निर्धारित है, जो उसे ज्यादा जोखिम लेने से रोकती है। इस मॉडल के तहत बैंक एनबीएफसी से मिलकर अपने पोर्टफोलियों का ज्यादा से ज्यादा विस्तार कर पायेगा एवं जोखिम लेने के पक्ष में होगा।
- एनबीएफसी के उन्नत डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से आस्तियों (Assets) की निगरानी बैंक कर पाएगा, ग्राहकों एवं उसके लेन–देन से जुड़े आकड़ों का संग्रह कर पाएंगे। साथ ही

एनबीएफसी के साथ मिलकर काम करने से छोटे टिकटों के ब्याज मंजूरी हेतु स्वचालित अंडर राइटिंग/क्रेडिट अप्रैजल (credit Appraisals) कुशल संग्रह प्रणाली से भली–भांति अवगत होंगे जो भविष्य के स्वर्णिम द्वार खोल सकते है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को फायदे:

छोटे एवं माध्यम आकार के एनबीएफसी या सभी एनबीएफसी जिसके क्रेडिट रेटिंग मध्यम (moderate) या अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी में है को ऋण लेने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक से इस मॉडल के तहत वे अपनें ऋणों का विस्तार कर पाएंगे। इससे एनबीएफसी की सुस्त पड़ रही धमनियों में बैंक के सहयोग से जान आएगी एवं वे अपने को फिर से पटरियों पर ला पायेंगे क्योंकि इस मॉडल के तहत बैंकों की ऋण की भागीदारी ज्यादा होगी।

एनबीएफसी द्वारा ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज ऊंचा होता है। बैंकों के ऋण में अधिकतर भागीदारी से ग्राहक को मिलने वाली औसत/भारित ब्याज दर काफी कम हो जाएगी इससे एनबीएफसी अधिक से अधिक ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे तथा मुनाफा कमा पायेंगे।

एनबीएफसी के लिए यह भी फायदा होगा कि वे आस्तियों एवं देयताओं के बीच बेमेल होने वाले जोखिम को उचित ढंग से प्रबंध कर पायेंगें क्योंकि इसे पूरे ऋण की राशि में अपना ही भाग दिखाने की अनुमति होगी। साथ ही, बैंकों की तरह, एनबीएफसी को किसी खास परिसम्पत्तियों/आस्तिओं या ग्राहक या एक ग्राउंड समूहों के प्रति जोखिम प्रबंधन में सहायता होगी।

ग्राहक को फायदे:

देश के विभिन्न भागों में काफी संख्या में ग्राहकों/उधारकर्तओं को उनकी भौगोलिक स्थिति, कम क्रेडिट स्कोर, सूचना में विषमता, बैंकों की वहां तक पहुंच नहीं होना, एनबीएफसी के पास ऋण वितरण हेतु पर्याप्त धन न होना आदि, जैसे अनेकों कारणों की वजह से बैंकों से ऋण नहीं उपलब्ध हो रहा था और वे मुख्यतः साहूकार पर निर्भर थे।

ऋण की सह उत्पत्ति मॉडल से उन ग्राहकों में आशाएं जगी है तथा इससे बैंकिग व्यवस्था के फायदे देश के कोने–कोने तक पहुंचने की सम्भावना बढ़ गई है। देश में लघु, कुटीर तथा मध्यम उद्योग को नई ताकत मिलेगी जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगी, क्योंकि इससे इन क्षेत्रों को मिलने वाले ऋणों से

उनकी उत्पादकता तथा निवल लाभ को बढ़ावा मिलेगा।

अर्थव्यवस्था के फायदे:

इस मॉडल के तहत ऋण वितरण का विस्तार देश के कोने– कोने तक होगा। इससे उद्योगों को उच्च ब्याज वाले असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों तथा उद्योगों को वित्तीय समावेशन का फायदा मिलेगा, जिससे इनके निवल लाभ बचत तथा निवेश को बल मिलेगा। इससे लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी जो अंततः देश की औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि एवं सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को ऊपर उठाएगा।

ऋण की सह–उत्पत्ति मॉडल के तहत जोखिम:

बैंकों को इस मॉडल के तहत काम करने हेतु अपने परम्परागत साख आकलन (credit appraisal), दस्तावेजीकरण (Documentation),निगरानी प्रणाली में समझौता करना पड़ सकता है क्योंकि यह योजना असाइमेंट तथा प्रतिभूतिकरण प्रणाली से भिन्न होगी। असंगठित क्षेत्र के ग्राहकों को बैंकों के ज्यादा से ज्यादा दिशा–निर्देशों का पालन करना पड़ सकता है जो उनके लिए कष्टदायक होगा तथा डाटा साझेदारी द्वारा यह भी संभावना है कि लंबे अंतराल के बाद बैंक को यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो जिससे स्वतंत्र रूप से इस क्षेत्र को ऋण प्रदान कर पाये तथा एनबीएफसी का भविष्य खतरे में पड़ जाये। एनबीएफसी के लिए कार्यरत लोग, बैंकों से जुड़ कर एवं उनके एजेंट की तरह कार्य कर सकते है। ग्राहक कुछ समय के बाद बैंकों से अपने बेहतर संबंध के आधार पर अपनी निर्भरता एनबीएफसी पर कम कर दें। इससे यह भी हो सकता है कि कुछ एनबीएफसी/आ.वि.कं. बैंकों के लिए अप्रत्यक्ष एजेंट के रूप में कार्य करने लगे। एनबीएफसी का अपने अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।

भारत में ऋण और निष्पादित होने पर बैंको एवं वित्तीय संस्थानों को दी गई दिशा–निर्देशों तथा लागू कानून के तहत रिकवरी के तमाम प्रयास करने पड़ते है। समस्या यह है कि बैंक तथा एनबीएफसी इन कानूनी प्रक्रियाओं को साथ मिलाकर DRT, SARFAESI ACT, NCLAT आदि के तहत कैसे आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कानून के कई प्रावधान बैंकों के पास है जो एनबीएफसी के पास नहीं भी हो सकते है।

निष्कर्ष: प्रत्यक्षतः भारतीय रिजर्व बैंक ऋण की सह उत्पत्ति मॉडल, देश की अर्थव्यवस्था में जान फूकने तथा सुस्त पर रही अर्थव्यवस्था, ऋण प्रवाह की गति में ईंधन डालने का काम करेगा। देश के अधिकतर बड़े–बड़े उद्योगपति तथा जानकारों ने इस कदम को सही ठहराया है क्योंकि इससे रोजगार सृजन, कर संग्रह उत्पादन, बचत, निवेश, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

बैंक के साथ मिलकर आने से ग्राहकों को अब अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, बैंकों के साथ उनके संबंध अच्छे होंगे वे साहूकार तथा कुछ एनबीएफसी के महंगे ब्याज दर से ग्राहकों को राहत मिलेगी। बैंकों को चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र में निर्धारित क्षेत्र में निर्धारित ऋण वितरण की सीमा को स्वतंत्र रूप से पूरा करें।

इस मॉडल के विस्तार से पुनर्वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थानों जैसे नाबार्ड, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक की समस्या पैदा हो सकती है क्योंकि एनबीएफसी के तुलन पत्र में आस्तियों का विस्तार कम होगा जिससे इन वित्तीय संस्थानों के पास पुनर्वित्त संकुचित होगा। अभी तक बैंकों को प्राथमिक क्षेत्र और कृषि आवास में निर्धारित ऋण के वितरण में कमी होने से दंडस्वरूप सस्ते ब्याज दर पर यह भाग भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता था। यह राशि पुनः रा.आ.बैंक,नाबार्ड,सिडबी आदि को सरकार द्वारा पुनर्वित्त हेतु उपलब्ध कराई जाती थी। ये राशि एनबीएफसी, आ.वि.कं. के माध्यम से सस्ते ब्याज दर पर पुनर्वित्त योजना के तहत ग्राहकों तक पहुंचाया जाता था अब यह देखना है कि सह–उत्पत्ति मॉडल के तहत वितरित ऋण पुनर्वित्त हेतु कैसे उपलब्ध होगा।

यह मॉडल खासकर छोटे एवं मध्यम एनबीएफसी/आ.वि.कं. हेतु उत्साहित करने वाले प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस मॉडल को लागू करने तथा निगरानी करने हेतु सूचना तकनीकी प्रणाली पर भारी निवेश करना होगा। वे मुख्यत अप्रत्यक्ष बैंक का एजेंट बनकर रह जाएगा तथा मुनाफे का बड़ा हिस्सा बैंक ले जाएगा क्योंकि बैंक उसी ऋण प्रस्ताव को जो हर तरह उपयुक्त तथा कम जोखिम वाला हो।

रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार को यह देखना होगा कि इसका दूरगामी प्रभाव सकारात्मक हो न कि नकारात्मक। ऐसा न हो कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को एक दिन निगल ही न जाये।

छत्तीसगढ़ जनजातीय घर

– सुभाष, प्रबंधक

भारत के विभिन्न स्थलाकृति और पारिस्थितिक परिवेश में जनजातीय निवास, देश के 15% क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के संविधान का अनुच्छेद

366(25) अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में संदर्भित करता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य भी अनुसूचित जनजातियों से संपन्न है। ऐसा माना जाता है की कि सबसे शुरुआती आदिवासी 10,000 वर्षों से बस्तर में रह रहे थे।

छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर, 2000 को भारत के संघ राज्य के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ भारत का चावल का कटोरा है और अपने राइस मिल, सीमेंट और स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। राज्य बिजली अधिशेष राज्य है, जिसमें दुर्ग, रायपुर, कोरबा और बिलासपुर के औद्योगिक केंद्र हैं।

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में समृद्ध राज्य है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ किम्बरलाइट पाइप हीरे के लिए यहां उपलब्ध हैं। राज्य अद्वितीय जैव–विविधता से समृद्ध है, जो औषधीय, सुगंधित और डाई पौधों का सबसे समृद्ध भंडार है। छत्तीसगढ़ भारत का चावल का कटोरा है। 80% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, कृषि आधारित उद्योगों के लिए अच्छी गुंजाइश है।

जनजातीय संस्कृति

प्राचीन काल में इस क्षेत्र को दक्षिण–कोशल के रूप में जाना जाता था। रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। छत्तीसगढ़ में भारत के हर हिस्से से यहां बसने वाले लोगों के साथ जनजातीय संस्कृति/मूल्यों का मिश्रण है। आदिवासी पारंपरिक ज्ञान, लोकगीत, लोक कथाएं, लोक गीत, लोक पहेलियां, विश्व दृष्टिकोण, लोकाचार आदि स्वस्थ जीवन जीने के लिए उपदेश और उपदेश से भरे हैं। आदिवासी पारंपरिक संस्थान और उनके खेल और खेल उन्हें फिट और स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नृत्य आदिवासियों के प्रमुख मनोरंजन हैं। सभी नृत्य समूह नृत्य हैं जिनमें जटिल फुटवर्क शामिल हैं। नर्तक आमतौर पर एक पंक्ति में होते हैं, एक वृत्त में घूमते हुए, हमेशा घड़ी की दिशा मारिया जनजातियों के नृत्य में पुरुष अपने धड़ के चारों ओर कपड़े की एक पट्टी लगाते हैं, मोर और मुर्गे के पंखों के सिर के कपड़े पहनते हैं, और उनकी कलाई और टखनों के चारों ओर घंटियाँ बांधते हैं। ड्रम–बीट्स नृत्य के लिए केंद्रीय हैं। इन नृत्यों में गायन महत्वपूर्ण है। प्रत्येक गाँव एक विशेष प्रकार की हस्तकला – मिट्टी के बर्तनों, बेल–धातु के काम, लोहे के काम में माहिर होता है।

हरित क्रांति से बहुत पहले भारत में स्वदेशी आहार बदल गया था, छत्तीसगढ़ की जनजातियों ने खाद्य पदार्थों की खेती की और सेवन किया जो अब विश्व स्तर पर सुपरफूड के रूप में पहचाने जाते हैं। कठोर गर्मी में, पानी के बजाय, कई जनजातियां पाइक पीती हैं – चावल या बाजरा भिगो कर बनाया गया एक पौष्टिक पेय हैं। न्यूनतमवाद, शून्य अपशिष्ट, उत्थान और डिटॉक्सिंग विश्व स्तर पर विकास के पैरामीटर बन गए हैं। लेकिन जनजातियों के लिए, वे लंबे समय से जीवन का एक तरीका हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्राकृतिक उत्थान आम है। सरगी झाड़ी का उपयोग दांतों को धोने के लिए किया जाता है, इसकी पत्तियां

प्लेट बनाने के लिए और इसके बीज कपड़े धोने के लिए। बिस्तर मजबूत सोहदी रस्सियों से बनाए जाते है। यह भी देखा गया है कि होली के त्यौहार में होली के लिए गुलाल को जंगल के फूलों की लौ से बनाया जाता है।

हर्बल चिकित्सा का पारंपरिक स्वास्थ्य संसाधन आदिवासियों के लिए एक महान स्वास्थ्य प्रतिरक्षा है। मौसमी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और पोषक तत्वों की कमी आदिवासी क्षेत्रों में बैगाओं (वैद्य) द्वारा मूल रूप से की जाती है।

प्राथमिक/मध्य/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में प्रकृति और पेड़ों के महत्व को शामिल करते हुए आदिवासी दुनिया के बाहर हर्बोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा की स्वीकृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची:

अगरिया, अंध, बैगा, भैना, भारिया भूमिया, भूमिहार भूमिया, भूमिया, भारिया, पालीहा, पंडो, भट्टार, भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया, भील जीना, भुंजिया, बियार, बियार, बिंझार, बिरहुल, बिरहोर, बिरहोर, दमोह, दमोह, दमोह, दमि , धनवार, गडाबा, गदबा, गोंड, अरख, अररख, अगरिया, असुर, अबुजा मारिया, बाडी मारिया, बाडा मारिया, भटोला, भीम, भूता, कोईलाभूता, कोलाभुट्टी, भारत, बिसनहोर मारिया, छोटा मारिया, डंडामी मारिया, धुरू, धुर्वा, धुर्वा , धोबा, धुलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गीता, गोंड गौरी, हिल मारिया, कंदरा, कालांगा, खटोला, कोइरा, कोया, खिरवार, खिरवाड़ा, कुचा, मारिया, कुचकी मारिया, मडिया, मारिया, मन, मनेवर, मोगिया, मोगिया, मंधिया, मुडिया, मुरिया, नागरची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझरी झड़का, थतिया, थोट्या, वेड मारिया, वेड मारिया, दारोई, हल्बा, हलबी, हलबी, कमर, करकू, कँवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया , तंवर, छत्री, खैरवार, कोंडर, खारिया, कोंढ, खोंड, कोंध, कोल, कोलम, कोरकू, बोपची, मौसी, निहाल, नहौल बौंसी, बोंदेया, कोरवा, पहाड़ी कोरवा, कोडाकू, मझवार, मझवार, मवासी, मुंडा, मुंडा युगिया, नगेशिया, उरांव, धनका, धनगड़, पाओ, परधान, पठारी, सरोती, बरेलिया, बहेलिया, चिता, पारधी, लंगोली पारधी, फाड़ पारडी, शिकारी, टेकणकर, टाकिया, परजा, सहरिया, सहरिया, सेरिया सोसिया, सोर, सौंटा, सौंटा, सौर, सावर, सांवरा, सोनार।

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या: छत्तीसगढ़:

अनुसूचित जनजाति समुदाय	एसटी जनसंख्या (लाख)	ऑफ स्टेट एसटी जनसंख्या (%)
गोंड, अरख, अगरिया, असुर, भटोला, भीम, भूता/भूति, भर, मारिया, धुरवा, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गिकी, गट्टा, कंदरा, कालंगा, खटोला, कोएरा, कोइरा, खिरवार, मैना, मानेवार, मनुहार, मोग्या, मंध्या, मुड़िया, नागरची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझरी, झरेका, ठठिया, थोटिया, दारोई	42.98	54.9
क्वार, कंवर, चेरवा, राठिया, तंवर, छत्री	8.87	11.3
उरांव, ढाका, धनगढ़	7.49	9.6
एसटी (3) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	59.35	75.9
एसटी (39) (< 5 % जनसंख्या)	18.56	23.7
अन्य एसटी (< 5 % जनसंख्या)	0.32	0.4
कुल:	**78.23**	**100**

स्त्रोत: जनगणना 2011 के आंकड़े

जनजातीय घर:

आमतौर पर, आदिवासी घरों को पूरी तरह से मिट्टी के बने या लाल टाइलों वाली छतों से बनाया जाता है।

जनजातियों के घर के सामने वाले हिस्से में एक दरवाजा होता है और छोटी खिड़की होता है। इसके पास बहुत सी खाली जगह होता है जिसे "बयारा" के

नाम से जाना जाता है सामने के दरवाजे के बगल में एक बरामदा होता है, जिसे बैठक की तरह बैठने के उद्देश्य के रूप में उपयोग किया जाता है। बरामदे में

मिट्टी का फर्श होता है। बरामदा जो किचन, बैठने के उद्देश्य, आंगन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ।

आदिवासी घरों के निर्माण सामग्री के रूप में मिट्टी का बड़े पैमाने पर नवपाषाण काल से उपयोग किया जाता रहा है। मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से उन स्थानों पर पाया जाता है जो अपेक्षाकृत सूखी और जहां बहुतायत में कीचड़ है। आदिवासी घरों के लिए आवश्यक मिट्टी को भूखंड से ही लिया जाता है। जहाँ की शीर्ष परत कार्बनिक पदार्थों से भरा होता है, वैसी मृदा का उपयोग नहीं किया जाता है। मिट्टी साधारणतः 60 सेमी की गहराई के बाद एकत्र की जाती है।

जब उपलब्ध मिट्टी निर्माण के लिए पर्याप्त उपयुक्त नहीं होती है, तो उपयुक्त स्टेबलाइजर्स को जोड़कर अपनी रचना में मिट्टी का उपयोग किया जाता है। विभिन्न स्वदेशी स्टेबलाइजर्स में शामिल हैं: स्ट्रॉ/पौधों का रस/अरबी गोंद/चीनी या गुड़/गाय का गोबर/पशु मूत्र/टैनिन/तेल। स्टेबलाइजर्स मिट्टी के प्रकार की दी गई संपत्ति को बढ़ाता है। यह तन्यता और कतरनी शक्ति बढ़ाता है और सिकुड़न कम करता है। अक्सर मिट्टी पर घर की दीवारों का निर्माण करना संभव होता है, लेकिन नींव और तहखाने के लिए कुछ और ठोस सामग्री की आवश्यकता होती है। यदि पत्थर स्थानीय रूप से उपलब्ध है तो इसका उपयोग किया जाता है।

मिट्टी और लीपापोती विधि मिट्टी की संरचनाओं के निर्माण की एक पुरानी और सामान्य विधि है। वहाँ बांस और बेंत फ्रेम संरचना जो छत का समर्थन करती है। बांस के गन्ने और पुआल के इस जाल पर कीचड़ चढ़ाया जाता है। अत्यधिक वर्षा के कारण मवेशी और डब संरचनाएं धुल जाती हैं। हालाँकि, बेंत या विभाजित बांस की जाली बरकरार रहती है और भारी बारिश के बाद कीचड़ पर फिर से प्लास्टर किया जाता है।

जनजातियों घरों के दीवार को बारिश या सूरज से बचाने के लिए उसकी छत पर एक बड़ा ओवरहैंग बनाया जाता है, घरों के चारों ओर इक छोटी सी नाली बनी हुई होती है, जिससे टपकता हुआ पानी पास के गढ़े में इकट्ठा किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तो आज शहरों में प्रचलित है अपितु जन जातियों घरों में सदियों पहले से इनका प्रचलन है।

जनजातियों मिटटी के घरो के अनेको फायदे है, यह ठंडा रहता है, हवा का बहाव रहता है, जानवरों के लिए बाड़े रहते है और सबसे बड़ी बात है की आसपास की उपलब्ध सामग्री से बनाया जाता है। जनजातियों घरों में चित्रकारी बहुत ही आम है। यह इनकी जीवंत संस्कृति को दर्शाता है। वैश्यविक परिवेश में जनजातीय घर, भविष्य के घर है, जो वातावरण के अनुकूल होते है। यहाँ यह बताना भी उचित होगा की मिट्टी के घर अपितु दीर्घकालिक नहीं रहते, किन्तु जिस सहजता से इसका निर्माण प्राकृतिक उपलब्ध संसाधनों से किया जाता है, वह जीवन की निरंतरता का परिचायक होता है।

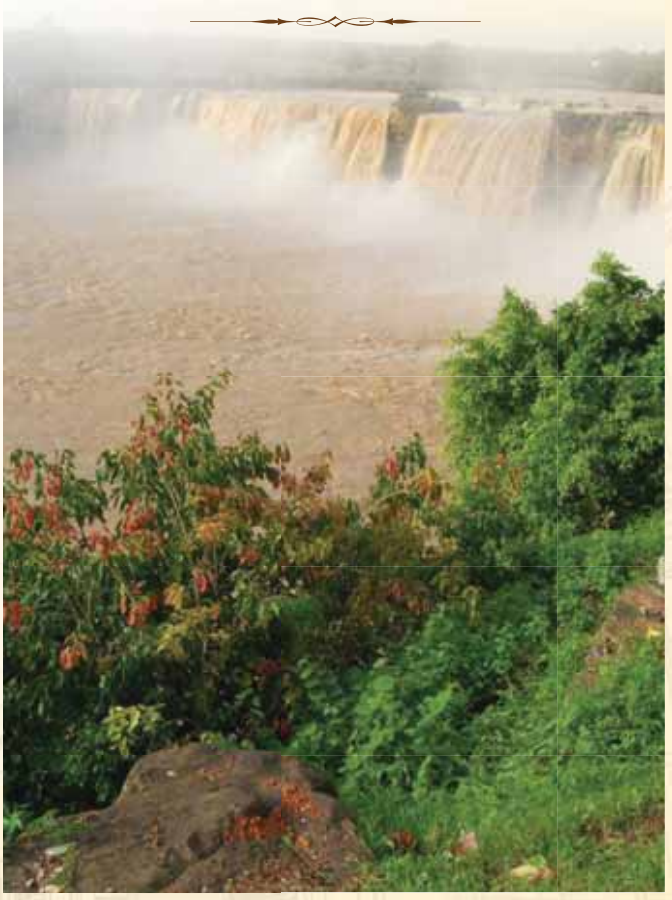

फिनटेक - चुनौतियाँ और संभावनाएँ

– मनोज कुमार, उप प्रबंधक

संदर्भ:

हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया में फिनटेक (FinTech) के सबसे बड़े बाजार के रूप

में उभरा है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े फिनटेक हब (अमेरिका के बाद) के रूप में उभरने के बाद भारत में 'फिनटेक बूम' अर्थात् फिनटेक का तीव्र और व्यापक विकास देखा गया है। वर्तमान समय में फिनटेक अर्थव्यवस्था के सबसे अधिक संपन्न क्षेत्रों (व्यापार वृद्धि और रोजगार सृजन दोनों मामलों में) में से एक है। फिनटेक वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता लाने के साथ वित्तीय समायोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।

क्या है फिनटेक (FinTech):

- फिनटेक (FinTech), 'फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी' (Financial Technology) का संक्षिप्त रूप है। वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को फिनटेक कहा जा सकता है।
- दूसरे शब्दों में यह पारंपरिक वित्तीय सेवाओं और विभिन्न कंपनियों तथा व्यापार में वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का कार्यान्वयन है। फिनटेक शब्द का प्रयोग उन नई तकनीकों के संदर्भ में किया जाता है, जिनके माध्यम से वित्तीय सेवाओं का प्रयोग, इसमें सुधार और स्वायत्तता लाने का प्रयास किया जाता है।
- डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ऋण, बैंक टेक, इंश्योर टेक, रेगटेक (RegTech) क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) आदि फिनटेक के कुछ प्रमुख घटक हैं।
- हालाँकि वर्तमान में फिनटेक के तहत कई अलग–अलग क्षेत्र और उद्योग जैसे–शिक्षा, खुदरा बैंकिंग, निधि जुटाना और गैर–लाभकारी कार्य, निवेश प्रबंधन आदि भी शामिल किये जाते हैं।

फिनटेक के सक्रिय क्षेत्र:

- क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल कैश।
- ब्लॉकचेन तकनीक: इसके तहत किसी केंद्रीय बहीखाते की बजाय कंप्यूटर नेटवर्क पर लेन–देन के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है।
- स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसके तहत कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से (अक्सर ब्लॉकचेन का उपयोग करते हुए) खरीदारों और विक्रेताओं के बीच अनुबंधों को स्वचालित रूप से निष्पादित किया जाता है।
- ओपन बैंकिंग: ओपन बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत बैंक नए एप्लीकेशन और सेवाओं को विकसित करने हेतु तीसरे पक्ष को अपने 'एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस' (API) की सुविधा प्रदान करते हैं।
  - ➢ ओपन बैंकिंग के तहत कार्यरत बैंकों को फिनटेक के साथ

प्रतिस्पर्द्धा के बजाय साझेदारी करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

- इंश्योर टेकः इसके तहत प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से बीमा उद्योग को सरल और कारगर बनाने का प्रयास किया जाता है।
- रेगटेकः रेग टेक, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी (Regulatory

technology) का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग व्यवसायों को कुशलतापूर्वक और किफायती तरीके से औद्योगिक क्षेत्र के नियमों का पालन करने में सहायता के लिये किया जाता है।

- साइबर सुरक्षाः देश में साइबर हमलों के मामलों में वृद्धि और विकेंद्रीकृत डेटा के कारण फिनटेक तथा साइबर सुरक्षा के मुद्दे एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं।

भारत में फिनटेक के विकास के प्रमुख घटकः

- व्यापक पहचान औपचारीकरण (आधार के माध्यम से): 1.2 बिलियन नामांकन।
- जन धन योजना जैसे प्रयासों के माध्यम से बैंकिंग पहुँच में वृद्धिः 1 बिलियन से अधिक बैंक खाते।
- व्यापक स्मार्टफोन पहुँचः 1.2 बिलियन से अधिक स्मार्टफोन उपभोक्ता।
- भारत में व्यय योग्य आय में वृद्धि।
- भारत सरकार द्वारा यूपीआई (UPI) और डिजिटल इंडिया जैसे प्रमुख प्रयास।
- मध्यम वर्ग का व्यापक विस्तार वर्ष 2030 तक भारत की मध्यम वर्गीय आबादी में 140 मिलियन नए परिवार और उच्च–आय वर्ग की आबादी में 21 मिलियन नए परिवार जुड़ जाएंगे, जो देश के फिनटेक बाजार में मांग और विकास को गति प्रदान करेंगे।

फिनटेक से जुड़ी संभावनाएँः

- व्यापक वित्तीय समावेशनः वर्तमान में भी देश की एक बड़ी आबादी औपचारिक वित्तीय प्रणाली के दायरे से बाहर है।
  - ➢ वित्तीय प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के माध्यम से पारंपरिक वित्तीय और बैंकिंग मॉडल में वित्तीय समावेशन से जुड़ी चुनौतियों को दूर किया जा सकता है।
- MSMEs को वित्तीय सहायता प्रदान करनाः वर्तमान में देश में सक्रिय 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME)' के अस्तित्व के लिये पूंजी का अभाव सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है।
  - ➢ 'अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम' (IFC) की रिपोर्ट के अनुसार, MSME क्षेत्र के लिये आवश्यक और उपलब्ध पूंजी का अंतर लगभग 397.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आँका गया है।
  - ➢ ऐसे में MSME क्षेत्र में फिनटेक का महत्त्व बढ़ जाता है, जिसमें इस क्षेत्र में पूंजी की कमी को दूर करने की क्षमता भी है।
  - ➢ कई फिनटेक स्टार्टअप द्वारा आसान और त्वरित ऋण उपलब्ध कराए जाने पर MSMEs को कई बार बैंक जाने या इसकी जटिल कागजी प्रक्रिया से राहत मिल सकेगी।

- ग्राहक अनुभव और पारदर्शिता में सुधारः फिनटेक स्टार्टअप सहूलियत, पारदर्शिता, व्यक्तिगत, और व्यापक पहुँच तथा उपयोग में सुलभता जैसी महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जो ग्राहकों को सशक्त बनाने में सहायता करते हैं।

- फिनटेक उद्योग द्वारा जोखिमों के आकलन के लिये अद्वितीय और नवीन मॉडल का विकास किया जाएगा।
- बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ऋण जोखिम के निर्धारण हेतु

वैकल्पिक डेटा का लाभ उठाकर और सीमित क्रेडिट इतिहास वाले ग्राहकों के लिये क्रेडिट स्कोर विकसित कर देश में वित्तीय सेवाओं की पहुँच में सुधार लाने में सहायता प्राप्त होगी।

चुनौतियाँ:

- साइबर हमले: प्रक्रियाओं का स्वचालन और डेटा का डिजिटलीकरण फिनटेक प्रणाली को हैकरों के हमलों के प्रति सुभेद्य बनाता है।
  - हाल ही में कई डेबिट कार्ड कंपनियों और बैंकों में हुए साइबर हैकिंग के हमले इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हैकर्स कितनी आसानी से महत्त्वपूर्ण प्रणालियों तक पहुँच प्राप्त कर इनमें अपूरणीय क्षति का कारण बन सकते हैं।
- डेटा गोपनीयता की समस्या: उपभोक्ताओं के लिये साइबर हमलों के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा का दुरुपयोग भी एक बड़ी चिंता का कारण है।
- विनियमन में कठिनाई: वर्तमान समय में तेजी से उभरते फिनटेक क्षेत्र (विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी) का विनियमन भी एक बड़ी समस्या है।
  - वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में फिनटेक के विनियमन हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं, ऐसे में विनियमन के इस अभाव ने इस क्षेत्र में घोटाले और धोखाधड़ी की घटनाओं को बढ़ावा दिया है।
  - फिनटेक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की विविधता के कारण इस क्षेत्र की समस्याओं के लिये कोई एकल और व्यापक समाधान तैयार करना बहुत ही कठिन है।

आगे की राह:

- साइबर अपराधियों से सुरक्षा: वर्तमान में भारत साइबर हमलों के विरुद्ध सुरक्षात्मक और आक्रामक दोनों क्षमताओं के लिये लगभग पूरी तरह आयात पर ही निर्भर करता है। देश में विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता और इसकी पहुँच में व्यापक वृद्धि को देखते हुए भारत के लिये इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है।
- उपभोक्ता जागरूकता: तकनीकी सुरक्षा उपायों की स्थापना के साथ फिनटेक के लाभ और साइबर हमले से बचाव के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिये ग्राहकों को शिक्षित और प्रशिक्षित किये जाने से भी फिनटेक के लोकतांत्रिकरण में सहायता प्राप्त होगी।
- डेटा सुरक्षा कानून: RBI द्वारा इस क्षेत्र में तकनीकी के प्रभावों की समीक्षा के लिये फिनटेक सैंडबॉक्स की स्थापना का निर्णय लिया जाना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
  - हालाँकि देश में एक मजबूत डेटा सुरक्षा ढाँचे की स्थापना करना बहुत ही आवश्यक है।
  - इस संदर्भ में 'व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, 2019' को व्यापक विचार-विमर्श के बाद पारित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप फिनटेक भारतीय आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों के लिये उपयुक्त समाधान उपलब्ध कराते हैं। फिनटेक में बीमा, निवेश, प्रेषण (Remittance) जैसी अन्य वित्तीय सेवाओं में व्यापक बदलाव लाने की क्षमता है। हालाँकि इस क्षेत्र में विनियम के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये कि ऐसा कोई भी प्रयास इसके विकास में सहायक होना चाहिये न कि बाधक।

सतर्क भारत - समृद्ध भारत

– रंजन कुमार बरुन, उप महाप्रबंधक

हो गयी पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिये
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिये
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिये

1. प्रस्तावना

यह कविता मेरे विचार में मेरे मन को ही नहीं सभी को संभवतः उद्वेलित कर देती होगी। कभी–कभी मन में विचार उत्पन्न होता है कि देश को सशक्त व समृद्ध करने में मेरा क्या योगदान है। क्या नौकरी करते हुए ही जीवन गुजर जायेगा और देश के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसका निर्वहन कैसे होगा। आज हर दूसरे भारतीय का संभवतः यही मानना है कि देश को समृद्ध करने की जिम्मेदारी संस्थानों/सरकारों की है व हमें तो अपना जीवन चलाना है। इस वर्ष की केंद्रीय सतर्कता आयोग की समसामायिक थीम सतर्क भारत–समृद्ध भारत ने मेरी विचार श्रृंखला को व मेरे अंतरमन को यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि एक सतर्क भारत से समृद्ध भारत का सपना कैसे साकार हो सकता है।

2. वर्तमान परिदृश्य की विवेचना

आपने कई जगह लिखा देखा होगा और कई लोगों को कहते भी सुना होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। घर परिवार को लेकर तो हम इस बात को ध्यान में रखते हैं लेकिन जैसे ही बात देश या समाज की आती है तो यहां हम अलग तरह से बर्ताव करते नजर आते हैं। फिर चाहे ऑफिस में कोई काम कर रहे हो या फिर कभी किसी से काम करवाना हो। छोटी–छोटी अनदेखी का असर आज यह हुआ है कि इंसान के जन्म लेने से लेकर उसके मरने तक में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है और हम इसके इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आंकड़ों के खेल में नहीं पड़ना चाहूंगा क्योंकि वहां तो हमारी स्थिति हमारे सारे प्रयासों के बाद भी नहीं सुधरी है। आपने कभी सोचा है कि भारत इतने संसाधन होने के बाद भी उस तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा जिस गति से उसे बढ़ना चाहिए था। क्या कारण है कि आज भी हम विकास की वो गति नहीं पकड़ पा रहे जिसकी हमें जरूरत है। क्या कारण है कि आज भी किसी परियोजना को पूरा होने में दशकों लग जाते हैं। जिस पूल को कुछ लाख रूपए में बन जाना चाहिए वो करोड़ों खर्च करने पर भी तैयार नहीं हो पाते और अगर हो भी जाते हैं तो कुछ दिन के बाद ही ढह जाते हैं। क्यों लाखों–करोड़ों खर्च कर भी हमारी नदियां साफ नहीं हो पा रहीं और क्यों इतने सारे सरकारी और निजी प्रयासों के बाद भी आज भी हमारे कई गांवों और शहरों के बच्चों को सही शिक्षा नसीब नहीं हो रही। क्यों हम आज भी 24 घंटे बिजली, एक बेहतर सड़क और पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पाते हैं कि इसका एक बड़ा कारण है कि हम सतर्क नहीं हैं। अगर आपके घर के पास सड़क बन रही है तो वो ठीक से बन रही है या नहीं इसे देखना हम अपना काम नहीं मानते। हम हर चीज के लिए भ्रष्टाचार को दोष तो दे देते हैं लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि यह इतना कैसे फैल गया। इन सबके मूल में है हमारा सतर्क न होना। इसलिए अब भी समय है कि हम सतर्क हो जाएं और चीजों को सतर्कता से देखने का प्रयास करें। जैसे ही हम सतर्क होंगे वैसे ही हम भ्रष्टाचार रूपी पेड़ को उगने से पहले उखाड़ फेकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि घोटाले, स्कैम, आदि के कारण होने वाली पैसे की बर्बादी समाप्त हो जाएगी और हम समय पर अपने कार्य पूरे कर पाएंगे और पैसे की बर्बादी पर भी लगाम लगेगी और इस तरह से हमारा भारत समृद्ध बना जाएगा। हमें अगर समृद्ध भारत का अपना सपना पूरा करना है तो हमें सतर्क रहना ही होगा। अगर आलसी बनकर आंख मूंदकर सोते रहेंगे तो कोई भी हमको हरा देगा। इसलिए जरूरत है कि सावधान रहें, सतर्क रहें ताकि इस बार कोई हमारे देश को लूट कर न जाने पाए।

3. सतर्क भारत – समृद्ध भारत की जिम्मेदारी

मेरा मानना है कि एक सतर्क नागरिक ही देश के विकास में अपना अहम योगदान देता है। देश के विकास की नींव में एक नागरिक की सतर्कता अंतरनिहित है। देश विभिन्न घटकों से मिलकर बनता है।

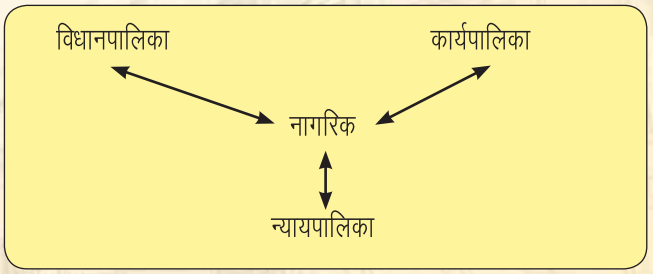

उक्त सभी से मिलकर देश बनता है व हर उपांग की अपनी जिम्मेदारी है जो देश की समृद्धता को दृष्टित करती है।

जब हम सतर्क भारत की बात करें तो केवल नागरिक को ही नहीं सतर्क रहना है, सतर्क रहने की जिम्मेदारी समाज में सभी स्तंभों की है।

➢ विधानपालिका की सतर्कता

देश/राज्य की विधानपालिकाओं को सतर्क रहकर देश की समृद्धता में अपना योगदान देना है क्योंकि देश का हर नागरिक अपने जन–प्रतिनिधियों से एक समृद्ध भारत बनाने में अपने और उनके योगदान की अपेक्षा करता है। निम्न सुझाव विधानपालिका की सतर्कता के लिये प्रार्थनीय है:

- पुराने कानूनों में उपयुक्त संशोधन व नये कानूनों का निर्माण जिससे पारदर्शिता आए व नागरिकों को कम समय में व्यावहारिक ढांचे के साथ न्याय मिल सके व समस्याओं का समाधान हो। यह कदम भ्रष्टाचार को रोकेगा व विधापालिकाओं को मजबूत कर विश्वास पैदा करेगा।
- जन सामान्य के जीवन पर प्रभाव डालने वाले घटकों पर अपनी कार्यवाही में विचार–विमर्श कर संबंधित मंत्रालयों को उचित दिशानिर्देश पारित करना जिससे देश के संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग हो और भ्रष्टाचार उन्मूलन को गति मिल सके।
- देश के नागरिकों से नागरिक प्रतिनिधियों के माध्यम से एवं सीधे भी संपर्क बनाते हुए उन्हें सतर्क रहने का संदेश देते हुए सशक्त भारत की नींव के लिये वर्तमान कानूनों में फेर–बदल के लिये सुझाव आमंत्रित करना।
- एक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों की समय–समय पर समीक्षा व संशोधन।
- कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हुए विभिन्न समितियों/प्रश्न काल आदि के माध्यम से कार्यपालिकाओं के कार्यों का सतर्कता से पर्यवेक्षण व जनता से सीधे सरोकार रखने वाली प्रक्रियाओं पर नजर।
- वित्तीय समितियों के माध्यम से कार्यपालिकाओं के निधियों के उपयोग को ईमानदारी से सुनिश्चित करवाना जिससे देश का विकास हो सके।
- बजट पास करते समय सतर्कता से उसकी समग्र विवेचना व देश विकास व जन विकास को प्राथमिकता व संसाधनों का सही प्रयोग।

➢ न्यायपालिका की सतर्कता

एक सतर्क न्यायपालिका देश के विकास का प्रमुख आधार स्तंभ है। भारत की न्यायपालिका विशेषकर सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाता रहा है व देश के कई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में भी पदस्थापित हुए है।

एक सतर्क कार्यपालिका से अपेक्षा:

- संविधान की रक्षा करते हुए असंवैधानिक प्रावधानों पर संज्ञान लेते हुए देश की प्रभुता व अक्षुणता के साथ–साथ जन मानस की रक्षा।
- सतर्कता के साथ कानूनों की व्याख्या करते हुए एक ईमानदार नागरिक को न्याय दिलाना जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो व देश मजबूत हो।
- किसी विधान में जो देश की विकासधारा को रोके व जन मानस को प्रतिकूल प्रभावित करे, के संशोधन के लिये सुझाव देना।
- नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा के लिये स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करना।

बहुधा देखा गया है कि नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा व देश के विकास के लिये न्यायपालिका द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दिये गये निदेश/आदेश प्रभावी कार्य करते है।

एक सतर्क न्यायपालिका कानून तोड़ने वाले देश की प्रगति में बाधा बनने वालों व भ्रष्टाचारियों को एक सख्त संकेत देती है। न्यायपालिका व जनता का संबंध ऐसा होना चाहिये कि एक संतुष्ट व सतर्क नागरिक स्वेच्छा व सरलता से न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सके।

सतर्क कार्यपालिका/विकास का आधार

एक सतर्क कार्यपालिका एक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि कानूनों व योजनाओं का कार्यान्वयन जन मानस से सीधे जुड़ा होता है व देश के विकास को सीधे प्रभावित करते हुए एक आम आदमी के अवचेतन को सकारात्मक व नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हुए देश के प्रति उसकी विचारधारा का भी निर्माण करता है।

एक सतर्क न्यायपालिका से निम्न अपेक्षा है:

- कानूनों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को इतना सरल व पारदर्शी बनाना जिससे ईमानदारी से प्रावधानों का पालन हो सके।
- ई–गवर्नेंस का और मजबूती से कार्यान्वयन जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही न रहे।
- जन मानस को जमीनी स्तर पर प्रभावित करने वाले कानूनों की सरल व्याख्या व प्रचार जिससे आम आदमी अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हो सके।
- विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की शुरुआत से लेकर अंत तक की प्रक्रियाओं का ईमानदारी से नियमन, पर्यवेक्षण, निगरानी व कार्यान्वयन

स्तर पर एक सतर्क नागरिक का सहयोग जिससे योजना की सफलता सुनिश्चित हो सके।

- प्रत्येक योजना, विकास के प्रक्रियात्मक चरणों की पूरी जानकारी सबको सुलभ कराना जिससे जन सामान्य की भागीदारी कार्यान्वयन में सुनिश्चित हो सके।

यह देखा गया है कि जहाँ सरकार ने योजना के कार्यान्वयन में सतर्क नागरिकों का सहयोग दिया है वहाँ–वहां योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से समृद्ध भारत की नींव मजबूत हुई है।

देश कानूनों की सरलीकरण व्याख्या व सही जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करना व जन सामान्य को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में व शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया में नागरिक व अधिकारी का प्रत्यक्ष संपर्क समाप्त करना।

एक सतर्क नागरिक से अपेक्षा:

देश नागरिकों से बनता है व प्रत्येक देश के विकास की नींव उसके नागरिक है। जिस देश के नागरिक जितने सतर्क व ईमानदार होते है उतना ही उस देश का विकास होता है।

- देश की व्यवस्था की आंख–कान बनें व सतर्कता से कानून का अनुपालन करें। अपने परिवार के व समाज के सैद्धांतिक मूल्यों को मजबूत करें।
- प्रण लें कि न भ्रष्टाचार प्रणाली के घटक बनेंगे न किसी को बनने देंगे।
- अपने आसपास, सरकारी कार्यालय या अन्यथा में होने वाली भ्रष्टाचारी गतिविधियों की सूचना संबंधित प्राधिकारी को देना।
- अपनी कॉलोनी या समुदाय को उनके अधिकारों कर्तव्यों के बारे में जागरुक करना व विभिन्न सरकारी योजनाओं व प्रक्रियाओं आदि के बारे में अपने साथ–साथ उनको भी परिचित कराना।
- एक सतर्क नागरिक के रूप में स्वयं या समुदाय/संगठन बनाकार गरीबों को जागरुक करना जिससे वे भ्रष्टाचारियों के जाल में ना फस सकें।
- सरकार द्वारा चलाए जा रहे भ्रष्टाचार निवारक प्रक्रियाओं/अभियानों के साथ जन भागीदारी करना।
- सरकारें कई तरह की योजना चलाती है। उसका सही तरीके से हम कैसे लाभ उठा सकते हैं इसको लेकर हमें सतर्क रहने की जरूरत है।
- अगर आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए तो बिचौलियों से उसकी जानकारी लेने से अच्छा है कि संबंधित विभाग या मंत्रालय के शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग किया जाए। इससे आप दिग्भ्रमित होने से बच सकते हैं।
- आज सरकारें ऑनलाइन लेनदेन पर बहुत जोर दे रही हैं लेकिन यहां भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सरकार द्वारा बताए गए विधि से ही ये लेन–देन करें।
- यदि आप अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं या किसी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो हमेशा इस बात को लेकर सतर्क रहें कि आवासीय परियोजना रेरा में पंजीकृत है या नहीं। अगर आपको थोड़ा भी संदेह हो तो तुरंत उस योजना के बारे में संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त करें।
- किसी भी काम के लिए बिचौलियों के झांसे में न आएं।
- आपके घर के आसपास यदि सड़क, नाले या बिजली आपूर्ति की व्यवस्था का काम चल रहा है तो इस बात पर ध्यान दें कि उच्च कोटि का कार्य हो रहा है या नहीं। और अगर आपको थोड़ी भी गडबड़ी लगे तो आपको तुरंत इसकी शिकायत करनी चाहिए।
- यहां तक कि जब हम कोई मेडिकल बीमा ले रहे हों, या फिर संपत्ति बीमा। हमें उन्हें लेने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए।
- अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो हमें यह जानकारी रखनी चाहिए कि सरकार की तरफ से उनको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या स्कूल वो सुविधा आपके बच्चे को दे रहा है या नहीं।
- यदि हम ऑनलाइन ट्राजेक्शन करते हैं या फिर किसी नई योजना, लाभ का फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो पहले तो हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी थर्ड पार्टी पोर्टल से ये न करें जब तक कि वह उस कार्य के लिए सरकार द्वारा अधिकृत न हो। और इसका लाभ यह होगा कि जो भी फायदा है वो सीधे आप तक पहुंचेगा और वो भी कम से कम समय में।

उपसंहार

मेरा मानना है कि एक सतर्क नागरिक के रूप में हम सभी को देश के विकास में अपना योगदान देना है। आज अगर हम सभी ईमानदारी व न्यायोचित व्यवहार के साथ–साथ सतर्कता से देश के विकास में भागीदार बने तो आज देश को विश्व के विकास पटल पर प्रमुखता से दृष्टित किया जा सकता है।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा –

कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता,
एक पत्थर तो तबियत से उछालों यारों...

सतर्कता से समृद्धि तक

– पंकज चड्ढा, क्षेत्रीय प्रबंधक

एक आदमी की महानता उसकी धन अर्जित करने की क्षमता में नहीं है, लेकिन उसकी ईमानदारी और उसके आसपास के लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में है– बॉब मार्ले

मानव जीवन विकल्पों से भरा है। हमारे जीवन में हर पल, हमें कई विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं। कभी–कभी खुशी और समृद्धि प्राप्त करने के लिए, हम सामाजिक, संगठनात्मक और राष्ट्रीय लक्ष्यों की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ को आगे रखकर गलत विकल्प चुनते हैं। यहीं पर आम तौर पर भ्रष्टाचार का जन्म होता है। जबकि अखंडता सही काम करने के बारे में है जब कोई भी इसे देखने के लिए आसपास नहीं है, तो भ्रष्टाचार एक बेईमानी और एक व्यक्ति या लोगों या एक संगठन द्वारा दुर्व्यवहार और उनकी शक्ति और स्थिति का लाभ उठाकर किया गया एक अपराध है। वैधानिकता की सीमाओं से परे धन, शक्ति या पद के लालच के लिए अनैतिक कुछ भी किया जाए तो, इसे भ्रष्टाचार कहा जाता है।

देश के नागरिकों के कार्यों के स्तर से राष्ट्र की समृद्धि तय होती है। **कन्फ्यूशियस ने शायद इसीलिए कहा कि "राष्ट्र की ताकत घर की अखंडता से उत्पन्न होती है।"** भ्रष्ट नागरिक न केवल उस संगठन की भलाई को नुकसान पहुंचाते हैं जिसके लिए वे काम कर रहे हैं, बल्कि अन्य कर्मचारियों और समाज को भी संक्रमित करते हैं जिसमें वे रहते हैं। भारत में भ्रष्टाचार का इतिहास नया नहीं है। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भी यह एक गंभीर मुद्दा था। अर्थव्यवस्था तब से संक्रमित चल रही है, हालांकि भारत में भ्रष्टाचार एक राज्य से दूसरे राज्य और जगह–जगह बदलता रहता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2015 के अनुसार, भारत को संभावित 100 में से 38 के स्कोर के साथ 168 देशों में से 76 वें स्थान पर रखा गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में भ्रष्टाचार हर साल 90,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा है। एक और अनुमान के अनुसार, भारत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण 25,000 करोड़ रुपये के निवेश और रोजगार की हानि हुई है।

भ्रष्टाचार एक राक्षस है जो एक राष्ट्र के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए कैंसर की तरह है। इसलिए, जब तक भ्रष्टाचार का कैंसर है, तब तक एक नए और समृद्ध भारत का निर्माण लगभग असंभव है। प्रत्येक भारतीय स्वच्छ, समृद्ध, प्रगतिशील, मजबूत, आत्मनिर्भर, अधिक संगठित भारत में सांस लेना चाहता है। यह तभी संभव है जब भ्रष्टाचार की बुराई पूरी तरह से खत्म कर दी गई हो। जब तक हमारे देश से भ्रष्टाचार का सफाया नहीं होगा तब तक आर्थिक समृद्धि ढांचागत विकास और समग्र उन्नति के राष्ट्रीय लक्ष्य मायावी रहेंगे। यह तभी हो सकता है जब सभी हितधारक एक साथ काम करें।

हालांकि देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए विभिन्न विधेयक कानून पहले से ही मौजूद हैं भारतीय दंड संहिता 1860, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, जन लोकपाल विधेयक, काला धन अधिनियम, 2015 और बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम फिर भी भारत को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए अभी भी एक पारदर्शी और प्रभावी नीति के कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इसी

तरह, देश में भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए कई भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां, विभाग और संगठन मौजूद हैं, जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई, लेकिन

देश में भ्रष्टाचार की स्थिति समान है। भ्रष्टाचार की समस्या का एकमात्र समाधान हमारे देश से इसे मिटाने में लोगों की भागीदारी है। भारत के लोगों, भ्रष्टाचार विरोधी विभागों और मीडिया के ठोस प्रयासों से भारत की इस बुराई को जड़ से

खत्म करने की ताकत है। एक बात स्पष्ट है; जब तक लोग स्वयं भ्रष्टाचार को मिटाने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तब तक यह बुराई मौजूद रहेगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मीडिया भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार को दूर करने और विकास के पहिये को सही रास्ते पर लाने के लिए, शिक्षा और प्रौद्योगिकी का उपयोग समय की एक बुनियादी आवश्यकता है। भारत की आर्थिक क्रांति हमें एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। हम पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अपने दूरसंचार कौशल का उपयोग कर सकते हैं। **सैमुअल जॉनसन ने कहा कि "ज्ञान के बिना ईमानदारी कमजोर और बेकार है, और ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक है"।**

पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया है कि नए भारत में, भ्रष्टाचार के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं है और नागरिकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में "समान भागीदार" की भूमिका निभाने का आग्रह किया है। पारदर्शिता और जिम्मेदारी की नई संस्कृति के प्रति मजबूत और समृद्ध भारत के लिए सभी नागरिकों की सामूहिक सतर्कता आवश्यक है। एक ऐसे नए भारत के निर्माण के लिए, जो आत्मनिर्भर हो, एक ऐसा राष्ट्र जो लगातार अपनी क्षमताओं का विस्तार करता है और कौशल अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करता है, लोगों की भागीदारी अनिवार्य है। यह तभी महसूस किया जा सकता है जब 130 करोड़ भारतीय जागरूक और सजग रहेंगे और गर्व नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाएंगे।

हमें महात्मा गांधी के शब्दों को याद रखना चाहिए और मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए क्योंकि मानवता एक महासागर है; यदि समुद्र की कुछ बूँदें गंदी हैं, तो समुद्र गंदा नहीं होता है। आशा करते हैं कि जल्द ही एक दिन आएगा जब महान भारतीय कवि रवींद्रनाथ टैगोर का एक प्रॉस्परस इंडिया का सपना सच होगा। एक ऐसा भारत होगा:

- जहाँ मन बिना भय के और सिर ऊँचा हो,
- जहाँ ज्ञान निःशुल्क हो,
- जहां दुनिया को टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया है,
- जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हैं,
- जहाँ अथक प्रयास अपनी बाहों को पूर्णता की ओर खींचता है,
- जहां कारण की स्पष्ट धारा ने अपना रास्ता नहीं खोया, मृत आदत के उजाड़ रेगिस्तान में,
- जहाँ मन को आगे बढ़ाया जाता है,
- स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, मेरा देश चले।

कवि रवींद्रनाथ टैगोर की तरह ही हमारा मिशन भी एक समृद्ध भारत का निर्माण होना चाहिए। एक ऐसा भारत जहां किसान सक्षम हैं; कार्यकर्ता संतुष्ट; महिला सशक्तिकरण; और युवा आत्मनिर्भर हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ अथक संघर्ष करना आवश्यक है। **आइए विजिलेंट इंडिया, समृद्ध भारत बनाने में हम सब अपना योगदान करें।**

स्मार्ट सिटी : भविष्य के शहर

अतिथि लेखक – आलोक चन्द्र गुप्ता,
उप शाखा प्रमुख, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

जैसा कि हम जानते हैं कि मानव सभ्यता को शहरों ने आगे बढ़ाया है जो सत्ता, संस्कृति, व्यापार के ठिकाने तथा उत्पादन के केन्द्र रहे हैं। हमारे भारत

देश में देश के तेजी से विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं इन योजनाओं में स्मार्ट सिटी भी एक है इस योजना के तहत कुछ शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इन शहरों में सभी तरह की आधुनिक व्यवस्था होगी। स्मार्ट सिटी के विचार को समझने के लिए यह समझना आवश्यक है कि शहर कैसे होते हैं, शहर घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं जिसमें अलग–अलग व्यवसाय तथा कौशल एवं जातीय तथा सामाजिक संरचना वाले लोग एक साथ रहते हैं। वास्तव में विविधता और भिन्नता हमेशा से ही शहरों की पहचान रही है, जिनसे नए विचारों को बढ़ावा मिला है किन्तु समावेश, निष्पक्षता तथा न्याय संबंधी चुनौतियां खड़ी हुई हैं।

स्मार्ट सिटी का नमूना 80 के दशक के उत्तरार्द्ध में शहरी संदर्भों को समझने के साधन के रूप में सामने आया और उसके बाद से वे विभिन्न संदर्भों में तेजी से विकसित होते गए। स्मार्ट सिटी वे स्थान हैं जहां नई और पुरानी समस्याएं दूर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को जोड़ दिया जाता है। रोड़े, कांच और इस्पात से बने पुराने शहर के नीचे अब कंम्प्यूटर और सॉफ्टवेयरों का जाल बिछा दिया गया है। स्मार्ट सिटी की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है कि हम कैसी स्मार्ट सिटी चाहते हैं।

"स्मार्ट सिटी आई है जीवन में नया बदलाव लाई है।"

स्मार्ट सिटी मिशन :

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने पहले भाषण में देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी और वर्ष 2014 के बजट में इसके लिए सात हजार करोड़ रुपये से अधिक आवंटित भी किए जा चुके हैं। इस योजना को पूर्णतया 25 जून, 2015 को लांच किया गया था। (2005 में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन आरम्भ हुआ, जिसे एक दशक बाद 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन एवं अमृत (अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांस फ्रार्मेशन) जैसे कार्यक्रमों में बदल दिया गया।) भारत के आर्थिक विकास में शहरों की महत्ता इस दृष्टि से मानी गई है कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दो तिहाई शहरी क्षेत्रों से ही आता है। स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और नई पहल है

"हर बड़े शहर को स्मार्ट बनाना है
देश को उन्नति के पथ पर तेजी से बढ़ाना है।"

स्मार्ट सिटी सुविधाएं

- शहर को पहचान प्रदान करना।
- अवसंरचना और सेवाओं में स्मार्ट समाधान का उपयोग करना।

- क्षेत्र आधारित घटनाक्रमों में मिश्रित भू–उपयोग को बढ़ावा देना।
- हाउसिंग और समावेशिता।
- पैदल चलने योग्य लोकेलिटी का निर्माण।
- खुले स्थानों का संरक्षण और विकास करना।

- परिवहन के विभिन्न विकल्पों को बढ़ावा देना।
- शासन को नागरिक – मैत्री और किफायती बनाना।
- शिक्षा, मनोरंजन और चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीकियों का विकास करना।
- देश को स्वच्छ एवं हरा–भरा रखने में सहयोग करना।

"प्रधानमंत्री जी की योजना रंग लाएगी, देश की सिटी स्मार्ट बन जाएगी।"

स्मार्ट सिटी परियोजनाएं –

- शहर की कॉमन भुगतान प्रणाली।
- कनेक्टेड सूरत।
- ईआरपी और जीआईएस प्लेटफार्म का विकास।
- ओटोमेटिक फेर क्लेक्शन सिस्टम।
- स्मार्ट सिटी सेंटर।
- एकीकृत यातायात और गतिशीलता प्रशासन केन्द्र

स्मार्ट सिटी की परिकल्पना अर्थात् भविष्य के स्मार्ट सिटी –

दुनियाभर में नए शहर बसाए जा रहे हैं और जिन शहरों में हम सदियों से रह रहे हैं उन्हें सुधार कर भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है ऐसा तेजी से बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते प्रदूषण के जवाब में हो रहा है। साथ ही पूरे शहर को एक साथ वेब नेटवर्क पर जोड़ना भी नए शहर बसाने और पुराने शहरों के नवीनीकरण का एक प्रमुख कारण है। जहां एक तरफ स्मार्ट सिटी का मतलब ये हो सकता है कि डेटा की मदद से ट्रैफिक में जाम से बचा जा सके या फिर निवासियों को बेहतर सूचना देने के लिए विभिन्न सेवाओं को एक साथ जोड़ देना वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी का मतलब शहरों को हरा–भरा और पर्यावरण का कम दूषित होना है। तकनीकी कंपनी जैसे आई.बी.एम. और सिस्को स्मार्ट शहरों में अपने लिए व्यवसाय का मौका देख रही है।

भारत में चर्चा में रहने वाले कुछ टॉप स्मार्ट शहर के प्रोजेक्ट

1. धोलेरा एसआईआर, गुजरात – यह गुजरात के अहमदाबाद शहर में आती है जोकि खंभात की खाड़ी में स्थित है। यह दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य इस स्थान को वैश्विक विनिर्माण केन्द्र बनाना है। जहां रेल, सड़क, एक्सप्रेस हाइवे, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मेट्रो और बन्दरगाह जैसे विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे हों।

2. गिफ्ट सिटी – गुजरात इन्टरनेशनल फाइनेंस ट्रेक सिटी, गुजरात – यह प्रतिष्ठित शहर अहमदाबाद और गुजरात में गांधीनगर के बीच अच्छी तरह से निर्माणाधीन है यह भारत का पहला स्मार्ट शहर होगा।

3. अमरावती, आंध्र प्रदेश – अमरावती गुंटुर जिले में स्थित है, जोकि कुल 54,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अमरावती भारत के फ्यूचर स्मार्ट सिटी का सही उदाहरण बनेगा।

4. ड्रीम सिटी – डायमण्ड रिसर्च और मर्केटाइल सिटी, सूरत – यह प्रोजेक्ट सूरत की सूरत को ही बदलकर रख देगा। इस शहर को मॉर्डन सुविधाओं के साथ–साथ वाई–फाई कनेक्टिविटी, स्मार्ट और इंटेलिजेंट सिस्टम और सर्पोटिव बैक फैसेलिटी भी मिलेगी। भारत की ड्रीम सिटी में पांच–सात सितारा होटल,

बैंक, आईटी, कॉरपोरेट ट्रेडिक हाउस, मनोरंजन क्षेत्र होगा। सुख सुविधाओं और नई तकनीकों से लैस होगें।

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति द्वारा दिनांक 17 नवंबर, 2020 को आयोजित विचार-विमर्श कार्यक्रम

उपसमिति के अध्यक्ष माननीय श्री भर्तृहरि महताब जी, संसद सदस्य (लोक सभा) उपस्थित अधिकारियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए

उपसमिति के अध्यक्ष महोदय को पुस्तक भेंट करते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक

उपसमिति के सदस्य माननीय श्री प्रदीप टम्टा जी, संसद सदस्य (राज्य सभा) को पुस्तक भेंट करते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक

बैंक के प्रबंध निदेशक समिति सचिवालय के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री सत्येंद्र सिंह जी को पुस्तक भेंट करते हुए

विचार–विमर्श कार्यक्रम

उपसमिति के अध्यक्ष महोदय के साथ बैंक के प्रबंध निदेशक

एएफडी फ्रांस के सहयोग से परिचालित सनरेफ कार्यक्रम के लिए गठित स्थायी समिति की प्रधान कार्यालय में आयोजित प्रथम बैठक की झलकियाँ

शुक्र ग्रह पर जीवन की खोज

– उत्कर्ष सिंह, सहायक प्रबंधक

दशकों से खगोलशास्त्री अपने अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा अन्य जगहों पर जीवन की खोज में लगे हुए हैं। काल्पनिक विज्ञान की कहानियों से प्रेरित होकर कई वैज्ञानिक जी–तोड़ मेहनत करके दूसरे सितारों के चक्कर लगाने वाले ग्रहों में जीवन ढूंढने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अरबों– खरबों किलोमीटर दूर स्थित जगहों पर जीवन की तलाश हो चुकी है। परंतु सितंबर 2020 में हमारे पड़ोसी ग्रह, शुक्र पर ही कुछ ऐसा मिला जिसके कारण वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए – आज हमें अपने ही सौरमंडल में जीवन होने के संकेत मिले हैं।

यह जानने से पहले कि शुक्र पर क्या मिला, यह जानना जरूरी है अंतरिक्ष में यदि हमारे अलावा कहीं जीवन है, तो इसकी काफी संभावना है वह हमसे काफी अलग दिखेगा। धरती पर उत्पन्न जीवन, धरती पर मौजूद उसके अनूठे गुणों की वजह से ऐसा है। अतः, अन्य ग्रहों पर मिलने वाले जीवन के अपनी अलग विशेषताएं और रूप होंगे। वे अत्यंत छोटे या अत्यंत बड़े हो सकते हैं। उनका शारीरिक रूप हमसे मौलिक रूप से अलग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उनका विकास हम से पहले या हमसे काफी बाद में शुरू हुआ हो जिनके कारण हमें विभिन्नताएँ दिख सकती है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर हम चले, तो हमें ऐसी जगहों पर जीवन मिल सकता है, जहां पर हमने कल्पना भी ना की हो।

अब यह सवाल उठता है कि जीवन की खोज कैसे की जाए? यह खोज धरती पर मौजूद सामान्य दूरदर्शक यंत्रों द्वारा नहीं की जा सकती। दरअसल सामान्य यंत्रों के द्वारा दूसरे ग्रहों व सौरमंडल के बाहर जीवन की खोज करना असंभव है। अतः वैज्ञानिक सीधे जीवन की खोज नहीं करते। वे खोज करते हैं किसी भी ग्रह के वातावरण पर जीवन द्वारा किए गए बदलावों की – जिनको "बायो–सिग्नेचर" बोला जाता है। यदि अन्य ग्रहों का कोई खगोलशास्त्री धरती के वातावरण का परीक्षण कर रहा होगा, तो उसको यह दिखेगा कि पिछले 200 सालों से कुछ गैसों की मात्रा सामान्य से ज्यादा गति से बढ़ रही है – जो जीवन के अस्तित्व का एक सबूत हो सकता है।

शुक्र ग्रह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दिन पहले तक वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि सौरमंडल में जीवन के लिए सबसे खराब ग्रह शुक्र ही है। वहां का तापमान सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा है। उसकी सतह पर हवा का दबाव धरती के मुकाबले 90 गुना है और वहां के वातावरण में हड्डी तक को गला देने वाले अम्ल मौजूद है। इसलिए शुरुआत के कुछ कोशिशों के बाद वहां पर जीवन की खोज के लिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया।

परन्तु पिछले महीने वहां के वातावरण में एक पदार्थ पाया गया – फास्फीन। फास्फीन एक रसायन है जो दो तरीकों से पैदा किया जा सकता है – या तो दूसरे रसायनों से, या ऐसे जीवाणुओं द्वारा जो जीवन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते। अभी तक धरती या किसी अन्य जगह पर भी ऐसी प्रक्रिया नहीं मिली है जिसके द्वारा शुक्र ग्रह पर पाई जाने वाली स्थितियों में फास्फीन स्वतः उत्पन्न हो जाये। साथ में ही यह रसायन ऐसी जगह पर मिला है जहां पर वातावरण जीवन के लिए थोड़ा अनुकूल हो सकता है – शुक्र की सतह से कई किलोमीटर ऊपर, उसके बादलों में। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शुक्र के बादलों में थोड़ी मात्रा में जीवाणुओं का अस्तित्व हो सकता है। यदि ऐसा हुआ, तो जीवन के अस्तित्व के संबंध में विज्ञान का नजरिया ही बदल जाएगा। धरती पर भी ऐसे जीवाणुओं की खोज हो चुकी है जो खौलते पानी और वर्षों जमी हुई बर्फ में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे मिले हैं जो विपरीत परिस्थितियों में लाखों–करोड़ों सालों तक निद्रा में रह सकते हैं। इसलिए इस खोज के बारे में भी वैज्ञानिक सतर्कता पूर्वक ही सही, लेकिन आशावादी जरूर है।

इस रसायन की मौजूदगी मात्र से ही शुक्र पर जीवन का अस्तित्व साबित नही हो जाता – ऐसा हो सकता है कि फास्फीन की उत्पत्ति का कोई नया कारण हो जिसका हमको अभी तक न पता चल पाया था। एक बात तो तय है – इस रसायन का शुक्र पर होना अपने–आप में एक चौकाने वाली बात है। विश्व के कई देश अब शुक्र की ओर ध्यान देना प्रारम्भ करेंगे – जिनमें से एक भारत भी है। इसरो ने "शुक्रयान" नाम के एक यान को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है – आशा है कि हम भी शुक्र के इस रहस्य का पर्दाफाश करने में अपना योगदान कर पाएंगे।

नाईट विजन प्रौद्योगिकी

– मेनका राणा, उप प्रबंधक

जैसा कि नाम से साफ है नाइट विजन डिवाइस ये वो यंत्र है जो रात के वक्त में बिना किसी रोशनी के देखने में मददगार होता है। नाइट विजन टेक्नोलॉजी जो हमें रात में किसी बाहरी प्रकाश स्रोत जैसे टॉर्च या लैंप का उपयोग किए बिना

देखने में सक्षम बनाती है। इस तकनीक में अत्यधिक उन्नत प्रकाश संवेदनशील कैमरों का उपयोग किया जाता है जो रात में स्पष्ट दृश्यमान छवियों का निर्माण करते हैं जो कि खुली आँख नहीं कर सकती हैं। चूंकि मानव आंख हरे रंग के प्रति काफी संवेदनशील होती हैं जो कि स्पेक्ट्रम के बीच में आती हैं, इन कैमरों में हरा फॉस्फोर होता है जो नाइट विजन कैमरों को हरा रंग देता है।

नाइट विजन डिवाइस क्या है?

नाइट विजन डिवाइस (एनवीडी) को नाइट ऑप्टिकल या ऑब्जर्वेशन डिवाइस (एनओडी) और नाइट विजन गॉगल्स (एनवीजी) के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऑप्टो–इलैक्ट्रोनिक डिवाइस है जो बिल्कुल अंधेरे में सामने वाले की तस्वीर को उभारता है।

एनवीडी का ज्यादातर इस्तेमाल मिलिट्री और एन्फोर्समेंट एजेंसियों की तरफ से किया जाता है। हालांकि, यह अब आम नागरिकों के लिए भी मौजूद है। कई एनवीडी में सेक्रिफिशियल लेंस या टेलिस्कोपिक लेंस या मिरर्स लगे होते हैं।

इतिहास

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नाइट विजन तकनीक पर शोध चल रहा है। हालांकि, एक परिभाषित आकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अर्थात् 1950 के दशक के प्रारंभ में आया था। यह तब है जब नाइट विजन के लिए जनरेशन – 0 विकसित किया गया था। इस पीढ़ी के दौरान आने वाले उपकरण भारी और महंगे थे। देखने के उद्देश्य के लिए बुनियादी सिद्धांत InfraRed क्षेत्र की रोशनी का उपयोग कर रहा था। इन शुरुआती उपकरणों में तेज और तीव्र चित्र देने के बजाय छवि को ढंकने पर उनका ध्यान था। चूँकि कमियाँ अधिक थीं, इसलिए उन्नत प्रणाली की आवश्यकता को काफी शीघ्रता से महसूस किया गया और एक दशक के भीतर, रात्रि दृष्टि प्रौद्योगिकी के जनरेशन –1 ने अपनी उपस्थिति दर्ज की।

1960 का समय वह समय था, जब वियतनाम युद्ध ने एक भयंकर गति पकड़ ली थी और जीत ने प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग की मांग की थी। आवश्यकता के बाद, नाइट विजन में आविष्कार सामने आए और युद्ध के देशों द्वारा जल्दी से अपनाए गए। जनरेशन –1 नाइट विजन गैजेट्स में पिछली पीढ़ी के विपरीत प्रकाश का कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि वे पर्यावरण में मौजूद प्रकाश की थोड़ी मात्रा का उपयोग करने के लिए अच्छी तरह से उन्नत थे। भले ही कम भारी और अधिक कुशल, इन ऑप्टिकल सेंसर को ठीक से काम करने के लिए चांदनी की आवश्यकता थी। उत्पादित चित्र लेंस के किनारों पर अस्पष्ट थे। लेकिन जो लोग इस तकनीक से लैस थे, उन्हें प्रतिद्वंद्वियों पर सीधी बढ़त मिली क्योंकि उनके पास इसे बचाने या रात भर रोशनी का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रात की दृष्टि प्रौद्योगिकी में नई पीढ़ियों के विकास के लिए मुख्य रूप से छवि गहनता ट्यूब या आईटीटी में सुधार जिम्मेदार थे।

जेनरेशन –2, 70 के दशक के दौरान आया जब भौतिकी और ऑप्टिकल घटना में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां वास्तव में अन्य रूपों में बदल सकती हैं। इस

पीढ़ी के उपकरणों को इमेज इंटेंसिफायर के साथ लोड किया गया था जो मूल रूप से फोटो कैथोड थे जो माइक्रो चैनल प्लेट्स या एमसीपी के साथ आए थे। ये MCPs उन इलेक्ट्रॉनों का पता लगाते हैं जिनकी आवृत्ति प्रकाश स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में नहीं आती है। इसने असंदिग्ध चित्रों की समस्या को काफी हद तक हल कर दिया और साथ ही साथ एक अच्छी तरह से सघन और सुलझी हुई छवि दी जिसने ट्यूब का जीवन लगभग 1000 घंटे तक सीमित रखा।

जनरेशन –3 में, फोटोकैथोड के रूप में गैलियम आर्सेनाइड का आगमन देखा गया था। अधिक उन्नत आयन बैरियर फिल्म के साथ, इसने उस मात्रा को बढ़ाया, जिससे छवि को MCP द्वारा तेज किया जा सकता था और तीव्र ट्यूब के जीवन में भी 1000 घंटे की वृद्धि हुई। जनरेशन –3 डिवाइस व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और अमेरिकी सेना के लिए प्राइम नाइट विजन डिवाइस के रूप में काम करते हैं।

पावर इनपुट के लिए गेटिंग तकनीकें रात दृष्टि प्रौद्योगिकी के जनरेशन –4 के लिए मानक के रूप में खड़ी हैं, क्योंकि वे आयन अवरोधों को जब्त करते हैं और छवि का सबसे अच्छा हल रूप देते हैं। कम रोशनी में आश्चर्यजनक रूप से कुशल, जनरेशन –4 उपकरणों को अभी भी अमेरिकी सेना द्वारा जनरेशन –3 में माना जाता है।

भले ही जनरेशन –3 का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, लेकिन जनरेशन –2 उपकरणों का उपयोग गैर सशस्त्र और नागरिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वर्तमान में, नाइट विजन डिवाइस 10,000 से अधिक घंटे तक चल सकते हैं और पूरी तरह से चांदनी वातावरण में लगभग 1000 मीटर की एक बेहतर दृष्टि दे सकते हैं।

नाइट विजन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है?

हर नाइट विजन डिवाइस वास्तव में कई उपकरणों का एक संयोजन है जो विभिन्न तकनीकों पर काम करते हैं। उपकरणों की गहरी जानकारी लेने से पहले, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये उपकरण गहरे रंग का होने पर नेत्र का काम करते हैं। तो, डिवाइस का निर्माण कुछ ऐसा होगा जिसकी तुलना आँख से की जा सकती है। बहुत शुरुआत में, हमारे पास एक सामने वाला लेंस है जो वास्तव में पर्यावरण में जो भी प्रकाश है उसकी मात्रा लेता है। फ्रंट लेंस के बाद फोटोकैथोड होता है जो डिवाइस की 3/4 थाई लागत से अधिक होता है।

अब, फोटोकैथोड एक तीव्रता है जो कैप्चर की गई प्रकाश किरणों के हर घटक को अधिक चमक प्रदान करता है। फोटोकैथोड का अनुसरण सूक्ष्म चैनल प्लेट (MCP) है। MCP प्रकाश की विभिन्न आवृत्तियों पर इलेक्ट्रॉनों का पता लगाता है और प्रत्येक फोटॉन के लिए एक चार्ज पल्स का निर्माण करता है। इसलिए, एक MCP का उपयोग प्रकाश के सबसे कमजोर घटक का पता लगाना संभव बनाता है जो आगे प्रकाश प्रवर्धन के लिए एक वरदान साबित होता है। इसके बगल में उच्च वोल्टेज बिजली की आपूर्ति है, जैसा कि इसका नाम कहता है, डिवाइस को बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है। समय के साथ, बिजली की आपूर्ति में सुधार किया गया है ताकि लंबे समय तक जीवन प्राप्त किया जा सके। एक फॉस्फोरस स्क्रीन आई स्क्रीन से पहले जुड़ी होती है जो हरे रंग की छवि के लिए जिम्मेदार होती है। डिवाइस के अंदर होने वाली विभिन्न रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के कारण, इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से गिर जाते हैं। फॉस्फोरस लेंस इन इलेक्ट्रॉनों की आवृत्तियों को दृश्य क्षेत्र में ट्यून करता है और इसलिए एक उचित छवि को फिर आंख के टुकड़े में प्रेषित किया जाता है।

इसलिए, एक रात में दृष्टि उपकरण में, फोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का पता लगाया जाता है और विभिन्न घटकों का उपयोग करके प्रवर्धित किया जाता है जो मानव आंख की तरह समकालिक व्यवहार में काम करते हैं, जिससे स्पष्ट छवि मिलती है जिसे मानव आंखों द्वारा काफी आसानी से समझा जा सकता है।

प्रौद्योगिकी और भविष्य के अनुप्रयोग

अनुप्रयोग (Application)

नाइट विजन तकनीक का आविष्कार युद्ध के विभिन्न परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। वास्तव में, अमेरिकी सेना प्रौद्योगिकी विकसित करने और समय के नियत समय पर स्थापित करने के लिए अग्रणी है। नाइट विजन गॉगल्स और नाइट विजन स्कोप जैसे उपकरण सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपकरण हैं। सेना के सभी विमान इस तकनीक से अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और स्टील्थ तकनीक के पूरक हैं, नाइट विजन तकनीक अंधेरे के दौरान लड़ाकू विमानों को अत्यधिक खतरनाक बनाती है।

समय की प्रगति के साथ, प्रौद्योगिकी का उपयोग विभिन्न नागरिक और प्रतिबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके अलावा, विमानन क्षेत्र निजी

और वाणिज्यिक क्षेत्रों में नेविगेशन उद्देश्यों के लिए नाइट विजन तकनीक के विभिन्न रूपों का उपयोग कर रहा है। इस तकनीक के माध्यम से, मोटे इलाकों पर भी लैंडिंग की जा सकती है, जो एयर एम्बुलेंस के लिए काफी फायदेमंद है। आगे चिकित्सा विज्ञान में जोड़कर, नाइट विजन तकनीक ने कुछ प्रणालियों का संभावित अध्ययन किया है जो कि उनकी जटिल उपस्थिति के कारण एक्स–रे या एमआरआई के माध्यम से भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इस तकनीक का उपयोग करते हुए, लसीका प्रणाली के आसान विचार, ऊतक क्लीनर प्रणाली देखी गई, जो पारंपरिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी।

कई वन्य जीवन अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में भी नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं ताकि रात के दौरान वन्य जीवन की निगरानी की जा सके और अवैध गतिविधियों जैसे अवैध शिकार पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा, खुफिया सेवाओं में निगरानी कैमरे होते हैं जो अंधेरे परिस्थितियों में कुशलता से काम करते हैं। काफी व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने नाइट शूटिंग मोड की सुविधा के लिए इस तकनीक को अपने कैमरों और कैमकोर्डर में इंस्टाल करवाया है।

आलोचना (Criticism)

प्रणाली की अक्षमता जैसे सैंडस्टॉर्म या बारिश जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में कुशलता से काम करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा गंभीर आलोचना की गई है। चूंकि रेगिस्तानी क्षेत्र अन्य इलाकों की तुलना में युद्धक्षेत्र रहे हैं, इसलिए यह पाया गया कि रात्रि दृष्टि उपकरण अपेक्षित परिणाम नहीं दे रहे थे और बड़े हमलों और दुर्घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार थे, जिन्हें सेनाओं को सामना करना पड़ा था। इसी तरह की दृश्यता त्रुटियां भी भारी बारिश के क्षेत्रों में आने की सूचना है क्योंकि पानी और विभिन्न ऑप्टिकल घटनाएं डिवाइस के काम को बाधित करती हैं।

भविष्य (Future)

नाइट विजन तकनीक में संयुक्त राज्य अमेरिका सेना में पंजीकृत अधिकांश पेटेंट हैं जो अभी भी इस तकनीक की उन्नति में काफी काम कर रहे हैं। वे 'ओमनीबस' या 'ओएमएनआई' के नाम से अलग–अलग वार्षिक अनुबंधों के माध्यम से उपकरणों को सुरक्षित करते हैं। इन उपकरणों के अपने संस्करण उस पीढ़ी के आधार पर होते हैं जो वे वास्तव में उपयोग कर रहे हैं। थर्मल / इंफ्रारेड इमेजिंग के हाल के घटनाक्रमों को भी शामिल किया गया है जो अनुप्रयोगों के माध्यम से देख सकते हैं जो दीवारों से परे देखने में सक्षम हैं।

मन के जीते जीत है और मन के हारे हार

– आशीष जैन, प्रबंधक

स्मृति एक 35 वर्षीय महिला थी जो एक संयुक्त परिवार में रहती थी। उनके परिवार में कुल 15 लोग थे जिनमें 3 बुजुर्ग, 7 व्यस्क और 5 बच्चे थे। वैसे तो कोरोना के इस काल में सभी लोग सावधानियां बरत रहें हैं परंतु फिर भी बहुत से घरों में कोरोना ने अपना घर बना ही लिया है। स्मृति के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

दो दिन से स्मृति के पति उज्ज्वल को बुखार था पर खांसी वगैरह नहीं थी, इसलिए सबको लगा कि मौसमी बुखार होगा, दो – तीन दिन में उतर जाएगा पर जब ऐसा नहीं हुआ तो सबको चिंता होने लगी और उज्ज्वल को डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहाँ जब डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा तो सभी घबरा गये पर कर भी क्या सकते थे, कोरोना टेस्ट तो कराना ही था। अगले दिन पता चला कि उज्ज्वल को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया था और इतना सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई।

घर के सभी लोग काफी डर गये थे। घर में तीन बुजुर्ग भी थे। उज्ज्वल की मां का तो रो–रोकर बुरा हाल था पर हालात को देखते हुए सभी लोगों का परीक्षण होना भी जरूरी था। सभी सदस्यों का टेस्ट हुआ और घर के 2 सदस्यों का कोरोना परीक्षण का परिणाम सकारात्मक आया। पूरे मोहल्ले में अफरा–तफरी मच गई। सिर्फ स्मृति, उसकी छोटी नंद और देवर के दो बच्चों को छोड़कर सबको कोरोना हो गया था। सरकार ने घर को सील कर दिया था। घर में एकदम भयावह माहौल था।

यह सब देखकर स्मृति भी बहुत घबरा गई थी पर धीरे–धीरे उसने खुद को संभाला और खुद से एक वादा किया कि अब वह दुखी नहीं होगी व परिवार वालों की हिम्मत बनेगी। बस फिर क्या था, स्मृति उठी और अपने परिवार की सेवा में जुट गई। चारों बचे हुए लोग एक कमरे में रहने लगे व बाकि सभी बाकी घर में अलग–अलग। स्मृति ने अपनी सेवा और हौसले से सबको हिम्मत बंधाई और सबने मिलकर इस बीमारी से लड़ने की ठानी। सभी मिलकर योगा व कसरत करने लगे। खाने–पीने की चीजों का ध्यान रखा गया। सभी सावधानियां बरती गईं जैसे मास्क, सामाजिक दूरी, हाथों की सफाई इत्यादि। सभी ने सकारात्मक सोच को अपना लिया। इन सबका यही परिणाम हुआ कि उनके घर के सभी लोगों ने मिलकर कोरोना को हरा दिया। आज वो सब कुशलता पूर्वक हैं और अन्य लोगों के लिए मिसाल बन गये हैं। स्मृति के हौसले और सकारात्मक सोच ने यह कथन सच कर दिखाया कि–

मन के जीते जीत है और मन के हारे हार!

डे जीरो और हम

– शोभित त्रिपाठी, राजभाषा अधिकारी

"ठंडे–ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए" संजीव कुमार की फिल्म पति, पत्नी और वो का ये गाना तो शायद ही कभी भूल पाएं क्योंकि ठंडे के मौसम में बाथरूम में जाते ही कईयों के मुंह से आज भी यह गाना अनायास ही निकल आता है। ठंड के मौसम में वैसे भी पानी को छूना किसी दण्ड से कम नहीं होता। लेकिन कहते हैं न सीन पलटते देर नहीं लगती। गर्मी आते ही हमें यह पानी तरसाने भी लगता है। खासतौर पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नै जैसे महानगरों में। आज से 10 या 20 साल पहले आप किसी से कहते है कि पानी का बेजा इस्तेमाल न करें तो वो आपको ऐसे घूरते मानो आपने कुछ गलत कह दिया हो लेकिन आज हमारे आस–पास पानी की जो स्थिति हो गई है उसे देखकर तो यही लगता है कि कहीं देर तो नहीं हो गई। बचपन से हमें पढ़ाया गया कि जल ही जीवन है, इसे बचाओ वरना जीवन नहीं बचेगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने किया ये कि जल संकट के नाम पर अच्छे अच्छे स्लोगन बनाए, कुछेक भारी भरकम कमेटी का गठन किया और साल में कुछ अच्छी जगहों पर जलसंकट के नाम पर संगोष्ठियां की और सोचा कि हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। लेकिन हमारी इसी अकर्मन्यता ने सर्व सुलभ पानी को बोतल में पहुंचा दिया और आज आलम यह है कि वो भी कई बार आसानी से उपलब्ध नहीं होती। मनुष्य को प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ कृति माना गया है लेकिन क्या पता था कि यही सबसे प्यारा बेटा मां प्रकृति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएगा। जहां एक ओर मानव

ने अपने विकास के नाम पर प्रकृति के साथ जी भर के खिलवाड़ किया तो अब प्रकृति ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और किसी वीडियो गेम की तरह जैसे ही हम किसी एक समस्या का कोई हल ढूंढ पाते हैं तभी वो उस समस्या का अपग्रेड वर्जन ले आती है और यही हुआ है हमारे जीवन यानि की जल के साथ। कुछ साल पहले तक हम इसके प्रदूषित हो जाने को लेकर अधिक चिंतित थे लेकिन समस्या उससे भयावह हो गई है और स्थिति यह हो गई है कि आए दिन खासतौर पर गर्मी के दिनों में पीने के पानी की किल्लत के बारे में

समाचार पत्रों में खबर छपती रहती हैं। लेकिन कुछ साल पहले जब दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में पानी खत्म होने की खबर आई तो इसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया और दुनिया का परिचय एक नए शब्द से हुआ और वो था डे जीरो।

'जीरो डे' का अर्थ उस दिन से है जब शहर के सभी नलों से पानी आना बंद हो जाएगा और शहर में जल की किल्लत होगी। जल की इस कमी के कारण शहर के सभी लोग एक–एक बूंद के लिये संघर्ष करेंगे। लोगों को पानी का दैनिक कोटा लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और शहर के सप्लाई के जितने भी स्टोरेज हैं, सभी खाली हो चुके होंगे। 'डे जीरो' से तात्पर्य है, वह दिन, जब नगर निगम की पानी की आपूर्ति भी बंद हो जाएगी। एक तरह से मानें तो किसी भी शहर में पानी की आपूर्ति के समापन की घोषणा।

वैसे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में रोजाना प्रतिव्यक्ति 135 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन 'डे जीरो' के दौरान लोगों को केवल पच्चीस लीटर पानी में शौच करना, मुंह धोना, नहाना, पीना और कपड़े धोने जैसे दैनिक कार्य करने पड़ते हैं। हालांकि 'डे जीरो' की स्थिति में स्कूलों और अस्पतालों में जरूरत भर की जलापूर्ति नहीं रोकी जाती है। और कुछ विशेषज्ञों के अनुसार डे जीरो का पहला भुक्तभोगी शहर केपटाउन हुआ है।

कई वैश्विक अध्ययनों पर किए गए विश्लेषण में बताया गया है कि 2050 तक दुनियाभर के 36 प्रतिशत शहर पानी की भयंकर समस्या से जूझने लगेंगे और 2050 तक शहरों में पानी की मांग 80 फीसदी और बढ़ जाएगी। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टिट्यूट (डब्ल्यूआरआई) द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की आबादी का लगभग एक चौथाई हिस्सा गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। पानी का गंभीर संकट झेलने वाले 17 प्रमुख देश अपने क्रम के अनुसार क्रमशः कतर, इजराइल, लेबनान, ईरान, जॉर्डन, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरब, इरिट्रिया, यूएई, सैन मैरिनो, बहरीन, भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान और बोत्सवाना है। डब्ल्यूआरआई की मानें तो पानी की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे यह 17 देश जल्द ही 'डे जीरो' जैसी स्थिति का सामना कर सकते हैं।

डब्ल्यूआरआई की रिपोर्ट में पानी की कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई है और माना है कि पानी की कमी से अनेक सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं खड़ी हो सकती है। जहां दुनिया भर में इसके कारण आपसी तनाव और संघर्ष बढ़ सकते हैं, खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, वहीं खनन और विनिर्माण जैसे पानी पर निर्भर उद्योगों के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

अगर हम भारत की बात करें तो यहां भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं हैं। आपको याद ही होगा जब चेन्नै में डे जीरो जैसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण स्कूल, कॉलेज आदि बंद करने पड़े थे। रेस्तराओं और होटलों का व्यवसाय बंद पड़ गया था। जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात करनी पड़ी थी। वहीं दूर दूर के क्षेत्रों से ट्रेन और टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की गयी थी इसी तरह गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत के कारण हिमाचल प्रदेश ने कुछ दिन के लिए

अपने यहां सैलानियों को नहीं आने का आग्रह किया था। ये हाल आज सिर्फ चेन्नै का नहीं है बल्कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल जैसे अनेक शहर भी आज जल संकट की गंभीर समस्या से त्रस्त हैं।

गौरतलब है की देश के कई राज्यों में जलस्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है, यदि इसको लेकर ठोस कदम नहीं उठाये गए तो जल संकट की यह स्थिति और भी भयावह रूप ले सकती है। एक ओर जहां कई राज्य सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे है, वहीं मानसून और उसके बाद में बरसने वाला अनमोल जल

नदियों के माध्यम से बह कर समुद्र में गिर जाता है, और व्यर्थ हो जाता है । यदि वर्षा जल संरक्षण पर जोर दिया जाये तो व्यर्थ हो जाने वाला यह जल, भू जल पर हमारी निर्भरता को कम कर सकता है और साथ ही कृषि के विकास में भी अहम भूमिका निभा सकता है ।

अब बारिश की हर बूंद की अहमियत समझने की जरूरत है। मॉनसून जब आता है तो देश के कई शहरों में आतंक मच जाता है हम पानी को बस बहते हुए देखते हैं पूरा शहर तैरने लगता है लेकिन इसी पानी को सहेज कर हम ग्राउंड वॉटर के स्तर को बढ़ाने के उपाय से मुंह मोड़े रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि देश में 50–60 फीसदी पानी टूटी–फूटी पाइप, लीकेज और नल के टपकने से बह जाता है। एक नल बूंद–बूंद टपकता रहे तो एक लीटर पानी बर्बाद होता है। शेविंग करते वक्त या ब्रश करते वक्त खुले टैप से भी काफी पानी बहा देते हैं। पानी के इस टपकने की आवाज पर ध्यान दीजिए। इसमें जल संकट और डे–जीरो की दस्तक है। जो जल हमें सरलता से उपलब्ध था उसे बोतल बंद पानी में तब्दील कर दिया। अगर हम गहराई से और इमानदारी से विचार करें तो यह एक ऐसा संकट है जिसे कोई सरकार अकेले हल नही कर सकती है। इसके लिए जन सहभागिता भी उतनी ही जरूरी है। आज जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से बचने में लगा है वहीं हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि आने वाला समय हमारे लिए एक साथ कई मोर्चों पर चुनौती लेकर खड़ा होने वाला है और हमें इन सबसे लड़ना होगा लेकिन इन सभी मोर्चों पर लड़ने के लिए सबसे पहली शर्त कि हम जिंदा रहें और ये तभी हो सकता है जब हम जल की अहमियत को समझें और स्लोगन और संगोष्ठी से आगे इसके संरक्षण के लिए कुछ करें।

बंधक बीमा- संकल्पना

– विवेक चौधरी, भूतपूर्व सहायक प्रबंधक,
(अतीत के झरोखे से, आवास भारती के वर्ष 2, अंक 5, अक्तूबर–दिसंबर, 2005 अंक में प्रकाशित लेख)

प्रस्तावना:

बीमा मूलतः दो प्रकार का होता है– जीवन बीमा और गैर–जीवन–बीमा। एक अन्य प्रकार का भी बीमा है जो आवास वित्त उद्योग, विशेष रूप से, सहकारी आवास समितियों में, प्रचलित है, यह बंधक जीवन बीमा है। इसमें ऋणदाता ऋण की राशि के समतुल्य राशि के लिए उधारकर्ता के जीवन का बीमा कराता है। यदि उधारकर्ता की मृत्यु ऋण चुकाए बिना हो जाती है तब बीमा कंपनी शेष राशि का भुगतान ब्याज एवं अन्य देय राशियों सहित करती है। इस प्रकार का बीमा, ऋणदाता को केवल उधारकर्ता की आकस्मिक मृत्यु या संपत्ति की हानि की स्थिति में संरक्षण प्रदान करता है। तथापि, ऐसा भी समय आता है जब उधारकर्ता बहुत से कारणों से ऋण का पुनर्भुगतान नहीं कर पाता है या नहीं करता है। बंधक रखी संपत्ति को बेचकर ऋण वसूल करने में वर्षों लगते है और पूरी राशि वसूल होने की कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसी बीमा पॉलिसियां भी उपलब्ध है, जिनमें ऋणदाताओं की हानि पूरी की जा सकती है। यद्यपि ऐसी पॉलिसियां इस समय भारत में नहीं है। इस प्रकार के बीमा को "बंधक बीमा" कहते है।

बंधक बीमा की संकल्पना एवं उपयोगिता:

बंधक बीमा एक ऐसा माध्यम (उत्पाद) है जिसमें ऋणदाता ऋण का बीमा करा सकते है और उधारकर्ता द्वारा व्यतिक्रम के मामले में अपनी हानि कम कर सकते

है यह बैंकों को कतिपय क्षेत्रों में उनके उधार के लिए ऋण गारंटी योजना में उपलब्ध संरक्षण के समान है। बंधक बीमा की संकल्पना पश्चिमी देशों में बहुत लोकप्रिय है किंतु यह संकल्पना भारत में बहुत ही नवीन है।

बंधक बीमा कई प्रकार से हो सकता है। उनमें से कुछेक को नीचे स्पष्ट किया गया है:–

पहली किस्म: ऋणदाता संपूर्ण ऋण राशि का बंधक बीमा करा कर 100% जोखिम सुरक्षा प्राप्त कर सकता है ऐसे किसी मामलें में, यदि उधारकर्ता व्यतिक्रम करता है तब बंधक बीमाकर्ता ऋणदाता को अन्य सभी देय राशियों के साथ शेष राशि का भुगतान करता है और बंधक रखी संपत्ति का प्रभार ले लेता है। बीमा के इस रूप में ऋणदाता को व्यतिक्रम जोखिम से पूरा संरक्षण मिलता है।

दूसरी किस्म: ऋणदाता ऋण राशि के केवल एक अंश का बंधक बीमा करना पसंद कर सकता है अर्थात जोखिम सुरक्षा ऋणदाता/उधारकर्ता द्वारा यथा विनिश्चित प्रतिशत तक हो सकती है। ऐसे किसी भी मामलें में, यदि उधारकर्ता व्यतिक्रम करता है तब बंधक बीमाकर्ता (चयनित सुरक्षा के अनुसार) ऋण की शेष राशि के अंश का भुगतान ऋणदाता को अन्य देय राशियों सहित करता है। बंधक रखी संपत्ति का स्वामित्व ऋणदाता के पास होता है जो कि प्रतिभूति प्रवर्तित करता है। बंधक बीमा के इस रूप में, ऋणदाता को व्यतिक्रम जोखिम का आंशिक संरक्षण मिलता है।

तीसरी किस्म: बंधक बीमा की एक अन्य योजना के अधीन व्यतिक्रम के मामले में ऋणदाता प्रतिभूति प्रवर्तित करता है अर्थात् वह ऋण की राशि वसूल करने के लिए बंधक रखी संपत्ति बेच देता है। यदि संपत्ति की बिक्री से उधारकर्ता को देय राशि पूरी प्राप्त नहीं होती तब बंधक बीमाकर्ता ऋणदाता को विभेदक राशि का भुगतान करता है।

बंधक बीमा इस प्रकार से उन ऋणदाताओं के लिए सहायक है जिन्हें उधारकर्ताओं के व्यतिक्रम के मामलें में धन गंवाना पड़ता है। बंधक बीमा ऋणदाताओं को उच्चतर ऋण राशि, मूल्य अनुपात के लिए उच्चतर ऋण (अर्थात् अल्पतर मार्जिन मुद्रा) ऋण की लंबी अवधि, अल्पतर ब्याज दर आदि के अनुसार अधिक जोखिम उठाने की दृढ़ता भी प्रदान करता है।

आवास क्षेत्र को बंधक बीमा से लाभ:

इस समय भारत में आवासीय स्टॉक की मांग एवं आपूर्ति के बीच भारी अंतर है। अधिकांश लोग अपना मकान बनाने की स्थिति में नहीं है। उन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत है जिसमें वित्तीय क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। तथापि,

संस्थागत ऋण उन व्यक्तियों को उपलब्ध है जिनके पास आय के स्थायी स्त्रोत है। किसान और कृषि संबंधी कार्यों से जुड़े लोग ऋण लेने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास आय के स्थायी स्त्रोत नहीं है। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग ऋणदाता की जटिल अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। इस प्रकार भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग ऋण सुविधा के बिना रह रहा है। ऐसे लोगों को ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत है। तथापि, लेनदार ऐसे लोगों को उनके व्यतिक्रम जोखिम के भय के कारण उनको अनेक बार ऋण देने से कतराते है। बंधक बीमा लोगो के उपर्युक्त वर्ग को ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। यदि ऋणदाताओं को उनके धन की वापसी के प्रति आश्वस्त किया जाए तो वे उन लोगों को ऋण प्रदान करने लगेंगे जिनको उन्होंने अपने व्यापार के सामान्य क्रम में इंकार कर दिया था। इस प्रकार से लोगों को संस्थागत ऋण की उपलब्धता से आवास समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है।

इसके अतिरिक्त , उधारकर्ता सामान्य रूप से उस समय कुल लागत के 20–25% का अंशदान करते हैं जब उन्हें घर की जरूरत होती है। वह एक मुश्त राशि उधारकर्ताओं की ओर से ऋण पर व्यतिक्रम की स्थिति में ऋणदाता को साम्य पूंजी प्रदान करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है। ऋणदाता पुरोबंध होगा और हानि उस समय पूंजी से कम की जा सकेगी। 25% की मार्जिन राशि मानते हुए, उधारकर्ता को दो लाख रूपये का अंशदान करना पड़ेगा, यदि वह दस लाख रूपये की संपत्ति अधिग्रहित करना चाहता है। मार्जिन राशि हेतु बचाने के लिए एक मध्यमवर्गीय परिवार के लिए कम से कम 4–5 वर्ष लगेंगे। इस प्रकार से वास्तव में मकान की मांग उतने समय तक स्थगित रहती है। यदि कोई ऋणदाता

उधारकर्ता से एकमुश्त कम राशि लेता है तब उसे व्यतिक्रम की स्थिति में अधिक हानि उठानी पड़ती है और स्वभाविक है कि वह ऐसी स्थिति से बचेगा या इस जोखिम को किसी अन्य व्यक्ति/अभिकरण के साथ बांटेगा।

बंधक बीमा को एक मुश्त थोड़ी सी राशि के साथ मकान का स्वामित्व दिलाने का एक वैकल्पिक साधन माना जा सकता है। यह 20% की एक मुश्त राशि की मानक अपेक्षा और जो राशि उधारकर्ता सहज रूप से मकान को खरीदने में लगा

सकता है उस राशि के बीच के अंतराल को भरता है। यह एक वित्तीय गारंटी है जो ऋणदाताओं को उस हानि से बचाती है जो उस समय उठानी पड़ती है जब उधारकर्ता भुगतान में व्यतिक्रम कर जाता है।

बंधक बीमा से लाभः

1. बंधक बीमा से उधारकर्ता शीघ्र मकान बना सकता है।
2. इससे उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है।
3. प्रथम बार के क्रेतागण एक मुश्त कम राशि दे सकते है जिससे उन्हें अपना पहला घर या एक अधिक मंहगा घर शीघ्र खरीदने में सहायता मिल सकती है।
4. बार–बार घर खरीदने वाले एक मुश्त कम राशि लगा सकते हैं और पर्याप्त कर–लाभ उठा सकते है क्योंकि उन्हें दावे में अधिक कटौती योग्य ब्याज देना पड़ेगा।
5. जितनी रोकड़ एक मुश्त भारी भुगतान करने में दी होगी उसका उपयोग वे लागत या अन्य खर्चों में कर सकते है।
6. ऋण दीर्घावधि के लिए उपलब्ध हो जाता है।
7. बंधक सीमा ऋणदाता द्वारा प्रतिभूतिकृत किये जाने वाले प्रस्तावित ऋणों के पात्रता निर्धारण को बढ़ाता है जिससे उसकी निधि लागत कम होती है।

बंधक बीमा की कीमतः

अन्य बीमा पॉलिसियों की ही भांति बंधक बीमा की कीमत होती है। व्यतिक्रम के जोखिम के लिए बीमाकर्ता ऋणदाताओं से प्रीमियम लेता है जो विशिष्ट रूप से

प्रीमियम की लागत उधारकर्ता से वसूल करता है। प्रारंभिक प्रीमियम, करार के समय लिया जाता है प्रीमियम की जो योजना पंसद की जाती है उसके आधार पर ऋणदाता द्वारा किए गए भुगातन में एक राशि जोड़ दी जाती है जो बंधक बीमाकर्ता को भुगतान विप्रेषित करता है। उधारकर्ता भी प्रीमियम का भुगतान वार्षिक या एक एकल किस्त में पंसद कर सकता है बीमा योजना में प्रतिदाय या अप्रतिदाय प्रीमियम का प्रस्ताव भी होता है। बंधक बीमा की लागत को कम किया जा सकता है, यदि बीमा सुरक्षा शीघ्र हटाली जाए अर्थात् कह सकते हैं कि उस समय जब ऋण का मूल्य अनुपात 65–70% तक हो जाता है। ऐसे समय पर, ऋणदाता को कम हानि होती है क्योंकि वह अपने शेष ऋण की वसूली ऋण की पुरोबंदी से कर सकता है।

बंधक बीमा बनाम ब्याज की उच्चतर दरः

जहां कोई भी ऋणदाता 15–20% से कम एक मुश्त राशि लेना स्वीकार नहीं करेगा वहीं कुछ ऋणदाता बंधक बीमा के बदले ब्याज की उच्चतर दर स्वीकार कर सकते हैं। जब कोई उधारकर्ता यह विकल्प मान लेता है तब ऋणदाता बंधक बीमा उस राशि से कम में करा लेता है जोकि उधारकर्ता को देनी पड़ेगी। ब्याज की उच्चतर दर में ऋणदाता की बीमा लागत जमा (+) लाभ की गुंजाइश भी आ जाती है। बंधक बीमा हेतु उच्चतर दर के लिए विक्रय की सीमा यह है कि ब्याज आय कर छूट योग्य है। तथापि, सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि उधारकर्ता ऋण की पूरी अवधि के लिए उच्चतर ब्याज का भुगतान करेगा जबकि बंधक बीमा को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। उधारकर्ता को बंधक बीमा या उच्चतर ब्याज के विकल्पों में से एक विकल्प चुनने से पहले, उचित विश्लेषण अवश्य करना चाहिए।

बंधक बीमा की परिसीमाएं :

1 बंधक बीमा की संकल्पना यह मानती है कि उधारकर्ता की आय बड़े ऋणों के पुनर्भुगतान की सहायता के लिए काफी है। जबकि यह एक सामान्य ज्ञान की बात है कि आवास वित्त कंपनियों की ओर से पालन किया जा रहा एक आवश्यक मापदंड आय–किश्त अनुपात है। लगभग 40% का आय किस्त अनुपात संतोषजनक माना जाता है और ऋणदाता सामान्यतयाः आय, किस्त अनुपात को इस सीमा के भीतर रखने की कोशिश करता है। इस प्रकार से, भले ही कोई व्यक्ति ऋण की बड़ी राशि लेने की कोशिश करता है तो भी आय, किस्त अनुपात एक प्रतिबंधक कारक के रूप में कृत्य करेगा क्योंकि मासिक किस्त ऋण के आकार और बंधक बीमा के प्रीमियम में वृद्धि के कारण बढ़ जाएगी। तथापि, इस परिसीमा को कम किया जा सकता है यदि ऋणदाता संस्थान पुनर्भुगतान की अवधि बढ़ाने को तैयार हैं जोकि बंधक सीमा की उपलब्धता पर संभव है।

2 ऋणदाता संस्थान उधारकर्ता का मूल्यांकन करते समय ढिलाई बरत सकते हैं यदि बीमाकर्ता उन्हें पुनर्भुगतान का आश्वासन देता है। बीमाकर्ता को केवल उन ऋणों को जो कतिपय न्यूनतम मापदंड पूरा करते है, का बीमा करके इस प्रकार की आलस्यता को पनपने से रोकने के लिए अहम भूमिका अदा करनी होगी।

3 बंधक बीमा की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि एक अच्छा और कार्यकुशल पुरोबंध कानून अस्तित्व में हो। व्यतिक्रमों के मामलों में, बीमाकर्ता के अतिरिक्त ऋणदाता भी हानि कम करने के लिए यथासंभव शीघ्र ऋण को पुरोबंध करने की कोशिश करेगा। पुरोबंध कानून के अभाव में, बंधक बीमा के लिए वित्तीय बाजार में अपनी जड़ें फैलाना कठिन लगेगा। बंधक बीमाकर्ता भी ऐसे किसी कानून के अभाव में जोखिम नहीं उठाएगा। इस प्रकार से बंधक बीमा को वास्तविक अर्थ में प्रारम्भ किए जाने से पूर्व, यह अनिवार्य है कि यहां कठोर पुरोबंध कानून हों। जून, 2000 में, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 में संशोधन के साथ इस दिशा में शुरूआत पहले ही की जा चुकी है।

राष्ट्रीय आवास बैंक बंधक बीमा की संकल्पना को भारत में लाने के लिए संगठित प्रयास कर रहा है। एक बार इसके स्थापित हो जाने से, निश्चित रूप से आवास क्षेत्र को बड़ा भारी प्रोत्साहन मिलेगा। आवास हेतु संस्थागत ऋणों में आश्चर्यजनक रूप से उछाल आने की आशा की जाती है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को अपेक्षित प्रोत्साहन मिल सकता है। आवास किसी भी विकसित या अविकसित अर्थव्यस्था में महत्वपूर्ण क्षेत्र है और सामान्य औद्योगिक वृद्धि पर इसका बहुप्रयोजन प्रभाव एक ज्ञात तथ्य है। इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति, आय, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और विकसित अर्थव्यवस्था के संघ में भारत को आगे बढ़ाने की संभावना है।

सतर्कता: एक व्यवहार

– राधिका मूना, प्रबंधक

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन चलता है। अतः यहां की जनता की बुद्धिमत्ता, सतर्कता व जागरूकता ही भारत की समृद्धता व उन्नति का आधार है। इसका उदाहरण हमें इतिहास में आदिकाल से ही देखने को मिला है।

भारत को प्राचीनकाल से ही विश्व में धर्मगुरू का स्थान मिला है क्योंकि भारत में आदिकाल से ही शासन व्यवस्था सैद्धान्तिक व व्यवहारिक विचारधारा पर आधारित थी, उदाहरण के लिए समाज के वर्गों का ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र में विभाजन ताकि सभी कार्यों को उचित प्रकार से विभाजित कर सबको समन्वित कर शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सभी लोग सतर्क व जागरूक होकर अपने–अपने कार्यों का निर्वहन करते थे। इससे सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई व देश में समृद्धता आई और भारत सोने की चिड़िया कहलाया गया परन्तु, धीरे–धीरे बाह्य आक्रमणकारियों ने हमारी संस्कृति को नष्ट कर व यहां की जनता के आचरण को भ्रष्ट कर उनकी बुद्धिमता को क्षीण कर हमें अपना बंधक बना लिया परन्तु कई वर्षों के लम्बे संघर्ष के बाद हमारे देश में जागरूकता की लहर ने भारत को स्वतंत्र किया।

परन्तु स्वतंत्रता के इतने वर्ष पश्चात भी हम समृद्ध राष्ट्र की श्रेणी में न आकर समृद्धि की ओर प्रगतिशील राष्ट्र की श्रेणी में आते है इसका मुख्य कारण है– सतर्कता का अभाव। अपने देश व समाज के लिए अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों के प्रति सतर्कता की कमी ही हमारे विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इसका आकलन हम निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श करके कर सकते है–

1. **आतंकवाद के प्रति सतर्कता–** अकसर हम रेडियो टी.वी, लाउडस्पीकर आदि पर यह सुनते है कि अगर आप किसी लावारिस/संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति को देखें तो उसकी सूचना पुलिस को दें, परन्तु सामान्यतः लोग सतर्कता न दिखाकर इस चेतावनी को अनदेखा कर देते है और पुलिस को कोई जानकारी देना, समय की बर्बादी समझते है।

   अगर हर नागरिक सतर्क रहकर पुलिस की सहायता करे तो आतंकवाद को देश से मिटाया जा सकता है व आतंकवादियों द्वारा किये गये आतंकी हमलों व बम ब्लास्ट से बचा जा सकता है तथा करोड़ों की जान–माल की हानि को रोका जा सकता है।

   अगर प्रत्येक नागरिक सतर्कता दिखाए तो आतंकवादियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलने वाली सहायता को रोककर उनके हमारे देश में आने के दरवाजों को बंद किया जा सकता है।

2. **कालाधन और चोर बाजारी के प्रति सतर्कता–** अगर हर नागरिक कोई भी सामान या वस्तु खरीदते समय पक्के बिल ले व सतर्कता के साथ क्रय–विक्रय करे तो कालाधन व चोर बाजारी को नष्ट कर, देश को समृद्ध किया जा सकता है।

   देश के प्रत्येक नागरिक को अपने–अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए व अपने आस–पास के वातावरण से होने वाली कालाधन व चोर बाजारी की प्रक्रिया के प्रति सतर्क रहना चाहिए व ऐसे करने वाले लोगों को बढ़ावा न देकर, उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए– अगर हर व्यक्ति ईमानदारी से अपनी आय पर टैक्स भरने लगे तो हमारे देश में सरकार के पास जनता के लिए पर्याप्त धन होगा जो देश की उन्नति में सहायक होगा और देश को समृद्ध करेगा। "जागो ग्राहक जागो" पर अमल करना चाहिए।

3. **भ्रष्टाचार के प्रति सतर्कता–** भ्रष्टाचार हमारे देश की समृद्धता की राह में एक मुख्य रूकावट है। हमारे देश मे लोग सरकारी कार्यालयों से मंदिर तक, हर स्थान पर अपना कार्य प्राथमिकता या गलत ढंग से करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लेते है। अगर कोई भी व्यक्ति रिश्वत न लें और कोई भी व्यक्ति रिश्वत न दें तो सारे कार्य पूर्ण होंगे, जो समाज को समृद्ध बनाने में सहायता देंगे।

   अगर हर व्यक्ति सतर्क व निर्भय होकर अपने आस–पास के भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को उजागर कर दें तो इस देश की समृद्धि को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता।

   जैसे–अगर हम चिन्तन करें कि हमारे देश में कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं के कारण बड़े–बड़े घोटाले नहीं होते तो वह अमूल्य सम्पत्ति देश को समृद्ध बनाने में सहायक होती।

"जंगल छोड़ भेड़ियें शहरों में आने लगे,
सुंदर लिबासों में शरीफों को लुभाने लगे।
ख्वाब बेचने का व्यापार चल पड़ा
लालच में हर कोई मचल पड़ा।।"

4. **कर्तव्य के प्रति सतर्कता –** हमारे देश की सेना अपनी कर्तव्यनिष्ठा के प्रति सतर्कता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगर देश का सैनिक सतर्क रहकर देश की सीमा की रक्षा न करें तो देश को बंधक बनने में देर नहीं लगेगी लेकिन सैनिक अपनी जान की परवाह न करते हुए हमेशा, सतर्क रहकर हमारी रक्षा करते है।

जिस प्रकार देश के सैनिक अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क रहते है, उसी प्रकार अगर देश का हर नागरिक अपने–अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क रहे तो निश्चय ही हमारे देश की गणना विकसित देशों में की जाने लगे और समृद्ध देशों में की जाने लगें और समृद्धता वापस लौट जाए।

5. **सामाजिक कुरीतियों के प्रति सतर्कता–** हमारे देश में आज भी ऐसी कई कुरीतियाँ है जो हमारे समाज व देश के विकास की दिशा में बाधा बनी हुई है। उदाहरण के लिए आज के आधुनिक युग में भी हमारे देश में कई स्थानों पर बाल– विवाह जैसी प्रथाओं का प्रचलन है जो देश के भावी नागरिक का भविष्य ही नष्ट कर देता है।

कन्या भ्रूण हत्या न केवल लिंग संतुलन खराब करता है वरन् सामाजिक वातावरण को तनावपूर्ण भी बनाती है।

दहेज प्रथा तो हमारे देश की ऐसी सामाजिक कुरीति है जो प्रायः हर वर्ग में व्याप्त है।

अगर देश का हर नागरिक सतर्क रहकर अपने आस–पास होने वाली सामाजिक कुरीतियों को रोकने का प्रयास करे, उसका भागीदार न बनकर उनका विरोध करे तो सामाजिक कुरीतियों के नष्ट होने से सामाजिक वातावरण सुखमय होगा जोकि समृद्धता लाएगा, क्योंकि एक समृद्ध समाज के लिए सुखमय व शांतिमय वातावरण आवश्यक है।

6. **अपने अधिकारों के प्रति सतर्कता–** देश की समृद्धि के लिए देश के नागरिकों को जितना अपने कर्तव्यों के लिए सतर्क होना चाहिए उतना ही अपने अधिकारों के प्रति सतर्क होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए की अगर उनके साथ धोखाधड़ी जैसा कुछ होता है तो वह उसके लिए शिकायत दर्ज करा सकते है। जैसे– आजकल होने वाले **साइबर क्राइम के प्रति** लोगों में उतनी सतर्कता नहीं है और वह उसका शिकार हो जाते है।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ शासन का चुनाव जनता द्वारा होता है वहां अगर जनता अपने अधिकारों के प्रति सतर्कता दिखाकर सही व्यक्ति का चयन करे तो देश के प्रति अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करना होगा।

चुनावी दौर में कई भ्रष्ट नेता लालच देकर जनता के वोटो का गलत उपयोग करते है परन्तु जनता अगर अपने व्यक्तिगत लाभ को भूलकर राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर अपने मत का सही उपयोग करे तो देश का शासन हमेशा सही हाथों में होगा जो देश को समृद्ध बनाएगा।

किसी ने इस संदर्भ में सही ही कहा है–

"एक कदम मैं चलूँ, एक कदम तू चल
जाति, धर्म,पंथ को भूलकर
एक कदम चल कर देख सतर्कता
के उसूल पर।"

उपसंहार– अतः अगर हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक अपने स्तर पर सतर्कता रखे तो हम एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज व देश की स्थापना कर सकते है जो हर क्षेत्र में समृद्ध होगा। सतर्कता से व्यक्ति में आंतरिक समृद्धता भी आएगी व उससे परिवार समृद्ध होगा। परिवार से समाज, समाज से प्रदेश व प्रदेश से अंततः देश अर्थात् हमारा भारत समृद्ध होगा।

इसका निष्कर्ष इन पंक्तियों मे अभिव्यक्त होता है–

"एक स्वप्न देखा था कल रात
सतर्क भारत हो समृद्ध विचार
न हो भ्रष्टाचार न हो कोई अभिशाप
सोने की चिड़िया फिर से बने
यह भारत आज।।"

मुठभेड़

– रघुवीर सहाय,
(जन्म तिथि: 09 दिसंबर, 1929)

किसी ने बड़े सवेरे मुझे टेलीफोन से जगाया। वह जगाने वाली टेलीफोन ऑपरेटर नहीं थी। शिवराम की माँ मर गई थी। उस दिन बड़ी ठंड थी। वे लोग साढ़े दस–ग्यारह बजे चलेंगे।

छलाँग मारकर मैं बिस्तर से कूदा। पर उसके बाद क्या करूँ, एकदम से तय न कर पाया और खड़ा रह गया। साढ़े दस–ग्यारह में जो अनिश्चय था उसके हिसाब से जान पड़ा कि घर चलने के लिए बहुत समय है। तब मैं फिर बिस्तर में घुस गया। लेकिन फिर निकलकर रसोईघर की ओर दौड़ा। दौड़ने को वहाँ बहुत न था। पतीले में नहाने का पानी चढ़ाकर मैं फिर दौड़ा और इस बार सीधे छज्जे तक गया जो कि इस घर में हद थी और जहाँ अभी–अभी अखबारों का बंडल धड़ाम से आकर गिरा था।

सारे शहर के अखबार उसमें थे, सबको तख्त पर बिछाया। कितनी दयनीय स्थिति थी। सारी दुनिया में कुछ आदमियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार चौबीस घंटे के अंदर हमारी नियति को जहाँ–तहाँ से मोड़ने की कोशिश की थी। रात की पाली

पर बोदे उपसंपादक को उसमें से चुनाव की कितनी सीमित आजादी थी। (क्या इसी को अखबार की स्वतंत्रता कहते हैं?) जो हो, उन्होंने भरसक अपनी मूर्खता से काम किया था और पाँचों अखबारों के पहले बड़े समाचार एक ही न थे। मैंने गर्व की साँस ली, पर दूसरे ही क्षण बाकी खबरें भी पृष्ठ पर कहीं–न–कहीं दिख जाने से सब बंटाधार हो गया।

उस वक्त तक शिवराम की माँ के मरने की खबर ही ताजी खबर थी। इसे एक कागज पर चींटी जैसे अक्षरों में लिखूँ और उसे अखबार में चिपका दूँ। पर सबमें नहीं। और फिर उस एक की हर एक प्रति में? एकाएक यह खयाल फेंककर मैंने कुछ उठाकर ओढ़ लिया। फिर तख्त वाले कमरे से बिस्तर वाले कमरे में चला, मगर देखा कि बीच के दरवाजे से नहीं जा सकते क्योंकि रात को वहाँ पता नहीं क्यों तिपाई इस तरह रख दी थी कि रास्ता छिप गया था। तब बरामदे से होकर उस कमरे में जाना शुरू किया, मगर रसोईघर में चला गया और पतीले से पानी निकालने लगा, मगर वह गरम न था। तो भी निकाला और दाढ़ी बनाने के मग में डाला जिसको नीचे रखा ही था कि पतीला बहुत बड़ा मालूम हुआ और उसकी जगह भगौना चढ़ा दिया क्योंकि चाय पहले चाहिए। यह एक बहुत ही निजी, यहाँ तक कि छिपाने योग्य बात है, गुलामी की बात, पर यहाँ कौन देखता है और सारे घर में मैं अकेला था। चाहता तो नंगा हो जाता, पर बड़ी ठंड थी। अब मेरा हर काम निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है। चाय, पहला प्याला गरम, दूसरा कम गरम, तीसरा कड़वा, आधा, बदजायका, खत्म। दौड़ा, चेंन मिला। खूब अच्छा रहा। स्वस्थ, सुगठित और स्वच्छ।

अब मैं पहले से ज्यादा साफ समझने लगा था कि मुझे वक्त से शिवराम के यहाँ पहुँच जाना चाहिए। उबलते हुए पानी से नहाने से मेरा मकान रोशन हो गया था। घबराकर मैंने टेलीफोन उठाया। उसे रख दिया। बनियान पहनी और तौलिया खोलकर फेंक दी। यह रहा मेरा सुंदर शरीर, अपने बालों सहित, दोनों पैर एक–एक करके जाँघिए में डाले, कसा, आराम मिला। फिर दौड़ा। दूसरे कमरे में दरवाजा नहीं, रास्ता बंद बरामदे से होकर, समय से पहुँचा, पतलून के लिए समय से। फिर घड़ी पहनी, फिर मोजा, फिर कुछ और। आखिरकार मुझे पहनना बंद करना पड़ा।

मैं अच्छी–खासी चुस्त तैयारी के साथ घर से निकला था और इत्तेफाक से वक्त ऐसा था कि जो देखता यही समझता कि दफ्तर जा रहा हूँ। यह सबसे बड़ी विडंबना की बात थी, क्योंकि मैं ही जानता था कि मैं किस घपले में पड़ा हुआ था। मुझे जाकर अपने को सिर के बल अड़ा देना था। वह दफ्तर जाने में नहीं किया जाता। कितने दिन बाद मैंने जाना था कि मैं सीधे कहीं जाना चाहता हूँ। शिवराम का मकान पास था। सवारी से मैं वहाँ दन से पहुँचता, पर वह ज्यादा

दन से हो जाता। मैं अपने पैरों चलने लगा। मैंने जाड़े से बचाव कर रखा था और मुझे सड़क पर अकेले बहुत अच्छा लग रहा था।

घर के सामने बाग में तमाम लोग आधा दायरा बनाकर खड़े हुए थे। माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई, मैं मुस्कराकर बहुत जोर से या बहुत जोर से मुस्कराकर कहना चाहता था, पर यह न करना ही ठीक समझा, इसलिए कि स्वर कितना ऊँचा रहे यह ठीक–ठीक, ठीक नहीं कर सका। सबसे पहले मुझे मिस्टर धर्मा ने देखा जो मुझ पर हमेशा के लिए यह छाप डाल देने में सफल हो चुके हैं कि मैं हर जगह देर से पहुँचता हूँ। वे मुस्कराए जिससे मुझे लगा कि वे एक और भद्दे, ठस, गधे हैं, सिर्फ उतने खूबसूरत नहीं।

तब मैंने उसे देख लिया। मैदान के बीचोबीच बाँस की टिकटी पड़ी हुई थी और उसके पास पालथी मारे नंग–धड़ंग शिवराम बैठा हुआ था।

मैं दायरे के एक छोर पर खड़ा हो गया। वहाँ से सब दिखाई पड़ता। दिन बड़ी सफाई से निकला था और उस तरह का मौसम था जिसमें जमीन दोपहर तक मुलायम रहती है।

लाश को लाओ, मैंने अपने मन में कहा और यह जोड़ दिया कि मैं आ गया हूँ। शिवराम का मंत्रोच्चारण शुद्ध है। वह बिल्कुल नंगा नहीं है।

बाकी लोगों ने मुझे एक–एक कर देखा। मैं उनमें से बहुतों को जानता था और कई ऐसे थे जिनके बारे में सिर्फ इतना मालूम था कि मुझे उनसे नफरत है। कुछ लोग मुझे अच्छे लगते थे। एक बार, कम–से–कम एक बार, मैं न तो किसी को नफरत से देखूँगा, न पसंदगी से। यहाँ नहीं। किसी को देखूँगा ही नहीं। मैंने तय किया। यहाँ नहीं। उम्दा धूप में लोग अपने अंदर से एक तरह की चीज निकालकर बाहर फेंकने लगते हैं। वह लोग करते हैं ठीक, पर क्यों? अभी, इसी समय क्यों?

मेरे बिल्कुल पास बढ़ी दाढ़ीवाला एक आदमी खड़ा था। वह मेरी जात का और उसका कद बिल्कुल उस खास तरह से मँझोला था जैसा मेरी जातवालों का होता है। वह बार–बार नजरें उठाता। सिर नीचे किए हुए ही वह मुस्कराना शुरू करता और सिर उठाते–उठाते जब मुझे मुखातिब न पाता तो मुस्कराहट समेट अपना सिर नीचे कर लेता। एक जरा–सी लापरवाही और वह मुझे नमस्ते कर लेगा। मुझे याद है कि वह इस तरह नमस्ते करता है जैसे जाने कौन–से समझौते, जो मेरी जात के लोग अपनी खास बेईमानियों के साझीदारों से करते हैं, मैं इससे भी किए बैठा हूँ।

इतनी देर तक वह मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश करता रहा कि मेरे मन में संदेह उठने लगा कि कहीं मैं इससे खामख्वाह नफरत तो नहीं कर रहा हूँ। फिर धीरे से मैंने यह जान लिया। हाँ, मैं बिल्कुल बिना वजह उससे नफरत कर रहा था। और यह कितनी अच्छी बात थी। सिवाय एक छोटी–सी घटना के और मुझे कुछ याद आया नहीं जिससे मेरी नफरत के कोई व्यक्तिगत माने होते। और वह भी कोई घटना न थी। एक बार मैं उसके दफ्तर गया था तो चाय तो मेज पर रखे था, मगर मेज की दराज से कुछ निकाल–निकालकर खाता जा रहा था।

बराबर वह दोनों हाथ इस तरह नीचे कर लेता था जैसे इसने कुछ खाया ही न हो और मुँह ऐसे चलाता था जैसे खा थोड़े ही रहा है।

हाँड़ी में आग जलाई गई थी। अब मैंने देखा कि सभी लोग क्यारियों में अँखुओं के ऊपर खड़े थे। शिवराम की देह सुंदर थी। मेरे घर में जब इतने लोग आएँगे तो कहाँ खड़े होंगे?

क्या उसे यहाँ नहीं लाएँगे? मैं अंदर चलूँ? ठंडे सादे कमरे, धुला हुआ फर्श, अधेड़ औरतें, छोटी–सी लाश – छोटी–सी सिकुड़ी हुई बूढ़ी देह। शरीर को झकझोर देनेवाले हजार अनुभवों से कुटी–पिटी कुचली मींजी हुई देह। निपट गई वह देह, जो घर के अंदर सँभालकर रखी हुई है।

शिवराम हाथ में कुश लेकर कुछ बोला, उसका उच्चारण पुरोहित से अच्छा था। पुरोहित ने जैसे झख मारकर उसके हाथ में एक और कुश दे दिया।

बिल्कुल नई काट का कोट पहने हुए एक आदमी इन दोनों के ठीक सामने खड़ा हो गया। वह घास पर जूता पहने चलता गया था। उसने कमर पर हाथ रख लिया और पैरों पर इस तरह बोझ डाला जैसे शिवराम के सीने पर सवार हो। शिवराम अपना काम करता रहा। सब लोग शिवराम को जानते थे। जब वह हाथ में पात्र लेकर घर के अंदर गया तब कोटवाले आदमी ने घूमकर इधर मुँह किया। वह कहना चाहता था इंटरवल। पर उसको कोई पहचाना ही नहीं। मिस्टर धर्मा हिले – मेरी तरफ। उन्होंने जेब में दोनों हाथ डाल लिए जैसे चोर हो। जेब में दोनों हाथ डाले और गर्दन सिकोड़े दो आदमी वहाँ और थे। इनमें एक की गरदन थी ही वैसी। उन्हें सब लोग ओछी नजरों से देख रहे थे। वे जेब में हाथ डाले दाएँ–बाएँ हिलने लगे।

शिवराम और पीछे–पीछे दूसरा आदमी घर से आ गया। वे लाश के पास से आए हैं। हाँडी से जोर का धुआँ निकला। जो कुछ हो रहा था पूरा हो गया। और शिवराम ने किसी को नहीं पहचाना। वह धूप में जाकर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा।

मैंने सोचा, इस वक्त एक दौर खूब तेज शराब का हो जाए। इस वक्त न सही,

शाम को हम लोग फिर आएँ। जेब में हाथवाले न आएँ और चाहें तो शिवराम के रिश्तेदार भी न आएँ। मेरी जात का आदमी भी न आए।

लाश की गाड़ी। नहीं, यह कोई और गाड़ी थी।

दो आदमी धीरे–धीरे बहुत उदास चेहरा लिए मैदान में दाखिल हुए। वे दबे पाँव सीधे शिवराम की तरफ गए। हाँडी को लाँघ न जाएँ, मैं डरा। बहरहाल अब सब कुछ हो चुका था। इतने धीरे चलने की जरूरत न थी। एक मोटा था। दुबले ने सफेद कमीज पर इतनी कसके टाई बाँधी थी कि उसकी आँखें निकली पड़ रही थीं। मोटा बेअंदाज, जरूरत से ज्यादा उदास हो गया था और उसका चेहरा प्यार में डूबी औरत जैसा भरभरा आया था।

पहले मोटा शिवराम से कुछ बोला। उसने हाथ जोड़े और इस तरह गर्दन झुकाई जैसे अपने किए पर पछता रहा हो। दुबले ने मुस्कराकर सिर हिलाया जैसे यही वह भी कहना चाह रहा हो। दोनों दबे पाँव वापस चले गए।

लाश की गाड़ी को ग्यारह बजे आना था। वह अभी तक नहीं आई थी। शिवराम धूप में अकेला खड़ा था। अगर वह किसी से बात करना शुरू कर देता तो बाकी लोग जा सकते थे। उनका काम खत्म हो गया था।

लाश को लाओ, मैंने कहा, यही वक्त है, अब मैं अकेला हूँ।

मुख्यमंत्री के संपर्काधिकारी मिस्टर धर्मा को बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जब तीस बरस के थे तब उन्होंने अपना लंबा कोट और ऊँचा साफा ईजाद किया था और तब से हर वक्त वही पहने रहते हैं। उनका मतलब था, वही पहनकर घर से बाहर आते हैं।

सिकुड़ी गर्दनवाले आदमी ने अपना झोला लपेट लिया और साइकिल खींचकर सड़क पर ले जाने लगा।

'कुछ लोगों को दफ्तर जाना है – तुम्हारी लाश की गाड़ी अभी तक नहीं आई?' एक ने किसी से पूछा।

नगर–निगम की लापरवाही पर थोड़ी–सी बहस हुई। किसी ने कहा, 'अच्छा हम लोग चलेंगे, जाना है।' 'हम लोग' पर जोर था, पर वह अकेला गया। एक और आदमी बोला, 'हम लोग भी जाएँ।' फिर बाकी बात बिना कहे ऐसे सिर हिलाने लगा जैसे गिड़गिड़ाने में हिलाया जाता है।

जिस वक्त लाश की गाड़ी आई वे सब लोग जा चुके थे जिन्हें मैं जानता था। तब जो बचे थे वे सब शिवराम के घर के अंदर चले गए। मैं बाहर खड़ा रहा। अब यह घटना खत्म हो रही है, मैंने सोचा। आखिरकार यह घटना जहाँ तक मेरा सवाल है, ठीक–ठाक खत्म हो जाएगी।

लाश की गाड़ी बहुत छोटी थी। ऐसा लगता था जैसे सिर्फ लाश की जगह उसमें रखी गई थी – जैसे कि यह मरनेवाले की जिम्मेदारी है कि वह उसमें चला जाए।

ड्राइवर ने उतरकर जोर से दरवाजा बंद किया। आवाज से मालूम हुआ कि गाड़ी मजबूत है। मुझे खुशी हुई।

शिवराम और तीन आदमी लाश को बाहर लाए। तीन दूसरे आदमी गाड़ी में सरक गए। लाश गाड़ी के आकार के लिहाज से ठीक बड़ी थी। उन्होंने उसे अंदर फर्श पर रख दिया।

फिर उन्होंने उसे बाहर निकाला क्योंकि शिवराम को अंदर बैठना था। पर शिवराम खुद टिकटी में हाथ लगाए था।

मैं देखने लगा कि कैसे करते हैं। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। शिवराम की तरफ का हत्था दूसरे ने अपने दूसरे हाथ से थाम लिया। शिवराम खाली हो गया। वह अंदर आ गया। अभी भी वह नंगे बदन था।

लाश दोनों लंबी सीटों के बीच फर्श पर लिटा दी गई। पीछे का दरवाजा बंद हो गया।

इसके बाद मैं निश्चिंत था। लेकिन गाड़ी नहीं चली। ड्राइवर झाड़ियों की आड़ में गया हुआ था।

जल्दी से चलकर मैं सड़क पर आ गया। बहुत कम वक्त था। ड्राइवर को आखिर कितनी देर लगती, भले ही जाड़े के दिन हों। उसके फारिग होने से पहले ही मुझे ओझल हो जाना था।

कोरोना योद्धा

– जी एन सोमदेवे, सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक

वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज और रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए हुबेई प्रांतीय केंद्र, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना

एकेडमी ऑफ साइंसेज और हुबेई प्रांतीय केंद्र के वुहान इंस्टीट्यूट के सदस्यों द्वारा bioRxiv पर 23 जनवरी 2020 को एक प्रीप्रिंट पेपर प्रकाशित कर अपडेट किया गया था कि 2019 के नॉवल कोरोना वायरस की संभावित उत्पत्ति चमगादड़ हो सकती है। जैसा कि उनके विश्लेषण से पता चलता है कि 2013 में पहचाने जाने वाले बैट कोरोना वायरस के पूरे जीनोम स्तर का 96% समान जीनोम कोविड 19 में है। हालांकि, इस बैट कोरोना वायरस के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, जिसे RaTG13 के रूप में जाना जाता है, को कभी भी प्रकोप से पहले चीनी वैज्ञानिकों द्वारा जारी नहीं किया गया था।

मानव इतिहास में कई बड़ी घटनाएं घटी है लेकिन बड़े से बड़े नरसंहार देखें हैं, दिल को दहला देने वाली प्राकृतिक आपदाएं देखी है लेकिन इस बार जो देख रहे हैं वो ऐसा ही लगात है जैसे भूतो न भविष्यति। दिसंबर की शुरूआत में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज और रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए हुबेई प्रांतीय केंद्र, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना एकेडमी ऑफ साइंसेज और हुबेई प्रांतीय केंद्र के वुहान इंस्टीट्यूट के सदस्यों द्वारा bioRxiv पर 23 जनवरी 2020 को एक प्रीप्रिंट पेपर प्रकाशित कर अपडेट किया गया था कि 2019 के नावेल कोरोना वायरस की संभावित उत्पत्ति चमगादड़ हो सकती है। जैसा कि उनके विश्लेषण से पता चलता है कि 2013 में पहचाने जाने वाले बैट कोरोना वायरस के पूरे जीनोम स्तर का 96% समान जीनोम कोविड 19 में है। हालांकि, इस बैट कोरोना वायरस के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, जिसे RaTG13 के रूप में जाना जाता है, को कभी भी प्रकोप से पहले चीनी वैज्ञानिकों द्वारा जारी नहीं किया गया था।

चीने के वुहान से निकली यह महामारी हमें इस प्रकार पंगु बना देगी ये किसी ने नहीं सोचा था। इस महामारी का नाम है कोरोना यानि कि कोविड 19। इसने अच्छे–अच्छे स्वास्थ्य सेवा का दावा करने वाले अमेरिका, इटली, फ्रांस को घुटनों के बल गिरा दिया तो फिर भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश की बात ही क्या। खैर जिस प्रकार से इसने विश्व भर में हाहाकार मचा रखा है उससे कौन वाकिफ नहीं है। आइए इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं।

कोरोना की उत्पत्ति सबसे पहले 1930 में एक मुर्गी में हुई थी और इसने मुर्गी के श्वसन प्रणाली को प्रभावित किया था और आगे चलकर 1940 में कई अन्य जानवरों में भी पाया गया। इसके बाद सन् 1960 में एक व्यक्ति में पाया गया जिसे सर्दी की शिकायत थी। इन सब के बाद वर्ष 2019 में दुबारा इसका विकराल रूप चीन में देखा गया जो अब धीरे–धीरे पूरे विश्व में फैलता जा रहा है।

कोविड 19 के प्राकृतिक वन्यजीव रिजर्वायर और मध्यवर्ती होस्ट की पुष्टि नहीं की गई है जिससे होते हुए कोविड 19 मनुष्यों तक पहुँचते हैं। हालांकि, यह संभावना है कि वायरस के लिए प्राथमिक रिजर्वायर चमगादड़ हों। बाजार से लिए गए 585 जानवरों के नमूनों में से 33 में कोविड 19 के साक्ष्य दिखाई दिए।

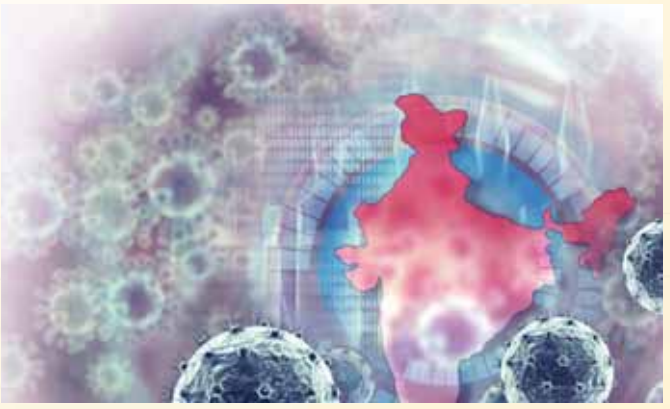

पेकिंग यूनिवर्सिटी, गुआंग्सी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी, निंगबो यूनिवर्सिटी और वुहान बायोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज से एक दिन पहले प्रकाशित एक रिपोर्ट कोविड 19 के कोडन उपयोग पूर्वाग्रह की तुलना "मनुष्यों, चमगादड़ों, मुर्गियों, हेजहॉग्स, पैंगोलिन और सांपों की दो प्रजातियों" से करती है

और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि "सांप कोविड 19" के लिए सबसे संभावित वन्यजीव पशु रिजर्वायर है जो तब मनुष्यों में फैला था यह दावा व्यापक रूप से विवादित रहा है: कुछ ने तर्क दिया कि रिजर्वायर चमगादड़ होना चाहिए और मध्यवर्ती होस्ट, पक्षी या स्तनपायी होना चाहिए, साँप नहीं (जैसा कि सांप, मनुष्य

के विपरीत, पोइकिलोथर्म हैं) बाकी अन्य ने पुनर्संयोजन और सार्स/ मर्सकोडन उपयोग पूर्वाग्रह के डेटा का उपयोग किया था इस तर्क का खंडन करने के लिए।

कोविड 19 के फैलोजनेटिक अध्ययन वायरस के विकास के इतिहास और अन्य जीवों के साथ उसके संबंधों की जांच करते हैं। कोरोना वायरस के परिवार का सातवाँ सदस्य जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है, कोविड 19 में सार्स कोविड के समान 75% से 80% जीनोम अनुक्रम है और कई बैट कोरोना वायरस से अधिक समानता रखता है। कोविड 19 के कम से कम पांच जीनोम को पृथक किया गया और रिपोर्ट किया गया है। ये दिखाते हैं कि वायरस अन्य ज्ञात कोरोना वायरस जैसे कि गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम–संबंधित कोरोना वायरस (सार्स कोविड) और मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम–संबंधी कोरोना वायरस (मर्स कोविड) से आनुवंशिक रूप से अलग है। सार्स कोविड की तरह, यह बीटा–कोविड वंश बी का सदस्य है।

कोरोना वायरस (सीओवी) परिवार कोरोनावायरेडाइ और ऑर्डर नीडोवायरलेस में उप–परिवार ऑर्थोकोरोनवीरिनाइ से संबंधित हैं। सीओवी में एक लिफाफा, मुकुट जैसा वायरल कण होता है जिससे उनका नाम रखा गया था। सीओवी जीनोम एक पॉजिटिव सेंस एकल–स्ट्रैंड आरएनए (+ ss आरएनए), आकार में 27–32 केबी का है, जो अन्य सभी आरएनए वायरस जीनोम में दूसरा सबसे बड़ा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जनवरी, 2020 में कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनियाभर में तेजी से फैल रहा है।

कोरोना वायरस (सीओवी) का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। डब्लूएचओ के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है।

इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है।

कोरोना से मिलते–जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड 19 नाम का यह वायरस अब तक 200 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो दुनिया भर में लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग इससे संक्रमित हुए हैं और लगभग 9 लाख 82 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके।

बचाव: कोरोना से बचाव करने में ही समझदारी है, क्योंकी यह एक संक्रामक रोग है जो बहुत ही तेजी से एक दूसरे में फैलता है। डब्लू एच ओ ने कुछ सावधानियों की सूची निकाली है और यह भी बताया है की कोरोना से बचाव के ये मूल मंत्र हैं। आइये इन्हें विस्तार में जानते हैं।

- सदैव बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से करीब 20–30 सेकंड तक अवश्य धोएं।

- अपने हाथों को अपने मुख से दूर ही रखें, जिससे की संक्रमण होने पर भी आपके अंदर न जा पाए।
- लोगों से 5 से 6 फीट की दूरी सदैव बनाये रखें।

- जरूरी न हो तो बाहर न जाये।
- सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें।
- सदैव मास्क और ग्लव्स पहने।
- संक्रमण की स्थिति में खुद को दूसरों से अलग कर लें और नजदीकी अस्पताल में सूचित करें।

कोरोना रहस्य: जिस बीमारी का इलाज न हो उसे क्या कहेंगे रहस्यमय बीमारी। जिस बीमारी के लक्षण निश्चित न हो उसे भी हम रहस्यमय बीमारी ही कहेंगे। कहने को कोविड–19 मगर 2020 तक भी टीका, दवा, गोली इजात नहीं। कहां है वैद्यकीय साइंस। ऐलोपेथ कहता है पेरासेटामॉल लेलो, क्रोसिन ले लो, सेट्राजीन ले लो। आयुर्वेद कहता है कि फलां–फलां का काढ़ा पीओ। वेबिनार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। कोरोना योद्धा बनाए जाने लगे मगर भय कम नहीं हुआ। बीमारी ने कम दमघोटू पीपीई कीट की गर्मी से भी घबराहट। मास्क लगाओं तो अकबकाई छूटे। करें तो क्या करें। एक नया शब्द। व्यवस्था द्वारा इजात की गई है जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाने लगा। गाइड लाइन पर गाइडलाइन। केंद्र सरकार कहती 60 के ऊपर वाले संवेदनशील। राज्य सरकार कहती 65 वाले अति संवेदनशील। संवेदनशीलता में एकरूपता नहीं। जहां–तहां सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। जुर्माना देने के पश्चात भी लोग सुधरते नहीं। महामारी से खौफ खाते नहीं। सरकार अपना कर्तव्य निभाती है जनता अपनी मनमर्जी। भुगतना पड़ता है साधनहीन, अक्षम, गरीब तबके के लोगों को। उनके लिए संसाधन के नाम पर अत्यंत देरी से मिलने वाला लाभ।

कोरोना योद्धा:

पूरी दुनिया में खौफ का प्रतीक बन चुके कोरोना वायरस (कोविड–19) का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं जबकि इसके पीड़ितों की संख्या में भी रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि, कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तमाम एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। भारत ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन घोषित किया और इस लॉकडाउन को कई बार बढ़ाया गया। इस महामारी ने दुनिया में तूफान ला दिया है। वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए नागरिकों के बीच सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया। संकट के इस दौर में भी डॉक्टर, पुलिसकर्मी, दुकानदार, सफाई कर्मचारी, पत्रकार और अखबार विक्रेता अपनी जान की परवाह न करते हुए तमाम जोखिमों के बीच मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यदि हम भारत की बात करें तो कोरोना काल में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, पैथोलोजिस्ट, सभी ने कोरोना योद्धा बनकर देश की सेवा की है। भारत में कई महीनों तक लॉकडाउन जारी रहा और अभी भी कुछ हिस्सों में लॉकडाउन जारी है। सभी डॉक्टर और नर्स रात दिन जागकर कोरोना संक्रमित मरीजों की भरपूर सेवा कर रहे है। वे इस आपातकालीन स्थिति में कोरोना योद्धा बनकर देश की सेवा में आगे रहे है। उन्होंने जान जोखिम में डालकर अपने देश, समाज और मरीजों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। लॉकडाउन के वक्त सामान्य लोगों को असुविधा ना हो इसलिए आवश्यक आपूर्तियों को पूरा करने के लिए दूध, सब्जियां, अखबार इत्यादि का भली भांति प्रबंध किया गया। इसलिए हमें किसी प्रकार की असुविधा का

सामना नहीं करना पड़ा है। यह इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि सभी लोगों ने कोरोना योद्धा बनकर हमें सुविधाएं प्रदान की। हम सलाम करते है उन स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, बैंक कर्मचारी और दैनिक जीवन से जुड़ी चीजे प्रबंध कराने वाले लोगों की जिन्होंने संकटकाल में हमें सुरक्षित रखा है। इनकी वजह से हम

अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित है। हमें भी एक अच्छे नागरिक की तरह इस संकटकाल से मुक्त होने के लिए निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि हम और हमारे आस पास के लोग सुरक्षित रहे और सुकून से जी सकें।

उपसंहार: लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002–03 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते।

कारोना योद्धा तो अपने काम में जुटे हुए हैं। लेकिन हम उनके बलिदान की कीमत को समझ नहीं रहे। हम क्यों इतने असंवेदनशील हो गए हैं। हम विपदा में सरकार का साथ क्यों नहीं देते? अच्छा हो जितने जल्दी हम इस ओर ध्यान दें। यह सब हमारे और देश के हित में है। कोरोना वॉरियर का फर्ज अदा करने वाली खाकी इन दिनों कोरोना संक्रमण से जूझ रही है। फील्ड से लेकर अस्पतालों एवं सार्वजनिक जगहों पर व्यवस्था में जुटे पुलिस के आरक्षकों से लेकर बड़े अधिकारी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अबतक पुलिसवालों का इन पॉजिटिव मरीजों का प्रत्येक बड़े शहरों में शतक से पार तो हो ही गया है। जिनमें आईपीएस, एएसपी, डिएसपी, और थानेदारों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन उनको समुचित इलाज दिलाने के साथ ही पुलिस वालों को ऐहतियात बरतने के निर्देश

तो दिए गए हैं। मास्क, सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी उन्हें दिए गए हैं। ताकि जवान कोरोना से संक्रमित होने से बचे। मगर यह देखने में आता है कि ये वॉरियर मास्क लगाने में अक्सर चूक जाते हैं जिससे संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। इन कोरोना वॉरियर्स के लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि ये वह लोग हैं जो आम और खास दोनों प्रकार के लोगों की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। यह एक सुखद बात है कि विलपावर मजबूत होने की वजह से ये संक्रमित योद्धा जल्द ठीक भी हो जाते हैं। इनके

ईलाज हेतु सरकार द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त होने चाहिए जो सतत पूरी मॉनिटरिंग कर सके। पुलिस मुख्यालय द्वारा भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि ईलाज में कोई कोर कसर न बाकी रहे। आमतौर पर भी जब इमरजेंसी ड्यूटी होती है तो पुलिसवाले कई–कई दिनों तक घर नहीं जाते हैं। ऐसे में यदि ये संक्रमित हो जाएं तो घरवालों पर विपत्ति का पहाड़ टूट सकता है। इनकी रक्षा करना प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें पहले से अधिक सचेत रहने की जरूरत है। हमारी छोटी सी लापरवाही सरकारी प्रयास और कोरोना योद्धाओं द्वारा किए गए पहलों पर पानी फेर सकती है।

आज लोग फिर से मास्क पहनने, हाथ धोने, सामाजिक दूरी को लेकर लापरवाह होते दिख रहे हैं जोकि ठीक बात नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा कि हमें सुरक्षित रखने के लिए न जाने कितने ही डॉक्टरों, पुलिसवालों को अपनी जान गवानी पड़ी है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।

हिंदी ई-टूल्स का प्रयोग

– के जगनमोहन राव, क्षेत्रीय प्रबंधक

1. यूनिकोड क्या है?

सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि यूनिकोड क्या है? क्या यूनिकोड कोई फोंट है? क्या यूनिकोड कोई टंकण का टूल है? या यूनिकोड कोई हिंदी या भारतीय भाषाओं में टंकण करने का तरीका है?

यूनिकोड एक टेक्नोलॉजी मानक है। यूनिकोड मानक में विश्व स्तर पर एवं प्रचलित सभी लिपियों के वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिए यूनिक कोड प्रदान किया गया है।

यूनिकोड (Unicode) प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है, चाहे कोई भी कम्प्यूटर प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम अथवा कोई भी भाषा हो। यूनिकोड मानक को एपल, एच.पी., आई.बी.एम., माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, सैप, सन, यूनिसिस जैसी उद्योग की प्रमुख कम्पनियों और कई अन्य ने अपनाया है। यूनिकोड आई.एस.ओ/आई.ई.सी. 10646 (ISO/IEC 10646) एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यह कई संचालन प्रणालियों, सभी आधुनिक ब्राउजरों और कई अन्य उत्पादों में उपलब्ध है।

यूनिकोड 10.0 वर्जन में कुल 136,690 वर्णों को जोड़ा गया है, कुल 139 स्क्रिप्ट।

भारतीय भाषाओं के लिए यूनिकोड एनकोडिंग के लिए UTF–8 का प्रयोग होता है।

2. यूनिकोड क्यों?

यूनिकोड मानक सार्विक करैक्टर इनकोडिंग मानक है जिसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए टेक्स्ट के निरूपण के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर एकरूपता के लिए एकमात्र विकल्प कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए यूनिकोड है। इससे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर अंग्रेजी की तरह ही सरलता से 100% कार्य किया जा सकता है, कंप्यूटर पर हिंदी में सभी कार्य जैसे – वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ई–मेल, वैबसाइट निर्माण आदि किए जा सकते हैं, हिंदी में बनी फाइलों का आसानी से आदान–प्रदान तथा हिंदी की–वर्ड पर गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन पर सर्च कर सकते हैं।

राजभाषा विभाग ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एनकोडिंग की एकरूपता को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रीय कार्यालय को कंप्यूटरों में यूनिकोड एनकोडिंग प्रणाली अथवा यूनिकोड समर्थित ओपन टाइप फोंट का ही प्रयोग करने का निदेश दिया है। परंतु, कंप्यूटर परिचालन से संबंधित छोटी छोटी जानकारी के अभाव में कई केंद्रीय कार्यालय इस निःशुल्क सुविधा की जगह विभिन्न प्रकार के फोंट और बहुभाषी सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे सूचना हस्तांतरण में तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण हिंदी की फाइलों को, अंग्रेजी की तरह आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, आदान–प्रदान नहीं कर पाते हैं। हिंदी पाठ को दूसरे सॉफ्टवेयर में जोड़ने में भी समस्या आती है। अतः सभी मंत्रालय एवं अधीनस्थ कार्यालय/उपक्रम/सरकारी बैंक केवल यूनिकोड समर्थित फोंट एवं यूनिकोड एनकोडिंग के अनुरूप सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करें। यूनिकोड एनकोडिंग को install/use करना बहुत आसान है।

3. यूनिकोड का महत्व तथा लाभ

एक ही दस्तावेज में अनेकों भाषाओं के text लिखे जा सकते है। किसी सॉफ्टवेयर–उत्पाद का एक ही संस्करण पूरे विश्व में चलाया जा सकता है। क्षेत्रीय बाजारों के लिए अलग से संस्करण निकालने की जरूरत नहीं पड़ती।

यूनिकोड का मतलब है सभी लिपि चिह्नों की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम 'एक समान मानकीकृत कोड'।

पहले सोचा गया था कि केवल 16 बिट के माध्यम से ही दुनिया के सभी लिपि चिह्नों के लिये अलग–अलग कोड प्रदान किये जा सकेंगे। बाद में पता चला कि यह कम है। फिर इसे 32 बिट कर दिया गया। अर्थात इस समय दुनिया का कोई संकेत नहीं है जिसे 32 बिट के कोड में कहीं न कहीं जगह न मिल गयी हो।

कंप्यूटरों में हिंदी में कार्य करने के लिए 3 की–बोर्ड विकल्प हैं:–

- इंस्क्रिप्ट
- रेमिंग्टन
- फोनेटिक

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति द्वारा बैंक की राजभाषा प्रगति का निरीक्षण

बैंक द्वारा राजभाषा हिन्दी की प्रगति एवं राजभाषा नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नित प्रयास किए जा रहे हैं। बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों के निरीक्षण हेतु संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति द्वारा एक विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 17 नवंबर, 2020 को किया गया था। उपसमिति की अध्यक्षता श्री भर्तृहरि महताब, माननीय लोक सभा सदस्य महोदय द्वारा की गयी। समिति के सदस्य निम्न प्रकार से हैं:

1.	श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य (लोक सभा)	अध्यक्ष
2.	प्रो. राम गोपाल यादव, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
3.	प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4.	श्री चिराग पासवान, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
5.	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
6.	श्री प्रदीप टम्टा, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
7.	डॉ. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य

विचार विमर्श कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों एवं राजभाषा नियम के कार्यान्वयन के संबंध में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में बैंक की स्थिति संतोषजनक पाई गयी एवं साथ ही कई मुद्दों पर समिति ने बैंक को प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिया जिस पर अनुपालन/कार्यवाही त्वरित गति से सुनिश्चित की जा रही है।

मनन

सहर, सहायक प्रबंधक

यूँ ही कभी मैं बैठ जाता हूँ
समुंदर की गहराई से तर्क
और उस विशाल आसमान से पूछता हूँ
क्या बस इतना ही है मेरे इस जीवन का अर्थ?

सुनहरे पिंजरे के आराम में
जब आजादी के स्वप्न मैं देखता था
यूँ हर क्षण के श्वास का संघर्ष
क्या बस ऐसे ही भाग्य के लिए मैं जन्मा था?

ऐसे तो इच्छाओं का दहन नहीं किया
राख में अभी धधक रहे है अंगारे
पर नियति से मैं ऐसा बंधा हुआ
क्या बस इस बुझती मशाल के हूँ मैं सहारे?

डगमगाते हुए साहस से मैं खड़ा तो हुआ
कदम में झिझक और सीने में निराशा
चलते–चलते फिर मैं ठहर जाता हूँ
क्या बस ऐसे ही सफर की थी मुझे जिज्ञासा?

लहरों की मंजिल उस साहिल और
सूर्यास्त से रोशन इस अम्बर से
मैं फिर वही सवाल करता हूँ
क्या बस इतना ही था मेरे इस जीवन का लक्ष्य?

काव्य सुधा

आत्म साक्षात्कार

– मुनीष भुटानी, क्षेत्रीय प्रबंधक

सोचता हूँ कि ये मैं हूँ या कोई और
जो नहीं होने देता बोर
जब भी इत्मीनान की सांस लेने चलता हूँ
बीच में ही बोल पड़ता है सुन.
और जाना होता है जापान और पहुंचा देता है रंगून
सोचता हूँ कि ये मैं हूँ या कोई और
जो नहीं होने देता बोर

कल की ही बात है, जब बच्चों सा मन था
न कल की फिक्र न बीते का गम था
बस जो होता गया वो करते गए और अब लगता है जैसे एक सफर था
कौन होना चाहता है शांन्त और कौन मचाता है शोर
सोचता हूँ कि ये मैं हूँ या कोई और
जो नहीं होने देता बोर

जिन्दगी एक व्यवस्था है या कथा है
जीते है ऐसे जैसे कोई व्यथा है
अगर कथा है तो कहानीकार कौन है
और अगर मेरी लिखी है तो व्यथा क्यों है
और व्यथा है तो व्यवस्था कहाँ है
इसी उलझन में सोचता हूँ कि ये मैं हूँ या कोई और
जो नहीं होने देता बोर

है अगर कोई और तो कहाँ है ये
और अगर मैं ही हूँ तो फिर कौन है ये
जो मैं हो कर भी अलग है और अलग हो कर भी मैं ही है
क्या ये वो है जो मुझे तुमसे अलग करता है या वो जो तुममे मुझ को ही दिखता है
काश मैं देख पाता उन नजरों से जो मेरी तो है पर मेरी नहीं, जो देखती तो है पर साक्षी नहीं, जो हर
जगह है और कही भी नहीं..
सोचता हूँ कि ये मैं हूँ या कोई और
जो नहीं होने देता बोर

काव्य सुधा

कोरोना-कोरोना

— वैभव रामटेके , प्रबंधक

कोरोना–कोरोना क्यों है तू आया
इस दुनिया का अंत क्यों नजदीक लाया
यह मृत्युलोक तो है भगवान ने बनाया
पर मृत्यु खुद इंसान ही लाया

तूने पूरी दुनिया की दशा है बदली
अब सोच लोगों की जीने मरने की हुई
कहा चले थे हम नयी दुनिया बसाने
जहां ये दुनिया है अंत पर पहुंची

जिसे है बचना इस वायरस से
पहले लड़ना होगा उसे अपने डर से
अपने आप को पहचान, ऐ इंसान!
आत्मशाक्ति है इससे लड़ने का तरीका

घुटन होती है अब इस मास्क में
तूने तो मुझे अपनों से दूर किया
क्या रह गया है अब इस दुनिया में
जहाँ इंसान अपनी इंसानियत को है भूला।
कोरोना–कोरोना क्यों है तू आया।
"अंत ही आरम्भ है।"

लौट चलें हम

— अंशु सिन्हा,
(बहन, श्री अमित सिन्हा, सहायक महाप्रबंधक)

वक्त की टहनियों से
कुछ लम्हें तोड़ लें हम
कुछ यादों को ताजा कर लें
वक्त को मोड़ लें हम

यूं तो जिंदगी रफ्तार से
चल रही है, चलती रहेगी
कुछ बीती बातों की चादरों को
फिर से ओढ़ लें हम

बीते दिन और बीते पल
याद क्यों अक्सर आते हैं
खुश तो आज भी हैं हम
जीवन पर इठलाते हैं
फिर भी सोचा थोड़ी देर
सारे बंधन तोड़ लें हम

लोट चलें उन गलियारों में
हंसी के उन फुहारों में
अल्लड़पन को दोस्तों को
फिर से जोड़ लें हम।

काव्य सुधा

दोहावली

— श्री नत्थू अग्रवाल
(पिता – श्री नितिन अग्रवाल, उप प्रबंधक)

आदर गुन को भाव–रस बिन गुन उपजै नाहिं।
कनक–पात यद्यपि गरल गुन–वश वैद्य सराहिं।।

कौन निरादर करत है आदर करै है कौन।
गुन अपने घर–घर बसैं एक पानी एक लौन।।

सींग सूँड़ नख पशुन तें रखिए दस गज ठावँ।
बसत दुष्ट कामी जहाँ तजिए तुरतहिं गावँ।।

भए भोर उठि करत हैं घर की झाड़–बुहार।
रोग मुक्त खुश रहत हैं वा घर की हर नार।।

हरिमन बाढ़हिं धन उनहिं जिन धन खरचति जाहि।
बाढ़हिं जिमि जल कूप को जस–जस काढ़हिं ताहि।।

वैद्य ज्योतिषी गणित–विज्ञ एकहि बीन अधीन।
अधीन काल के ह्वै गये ये एक ते तीन।।

वाको सुमिरन जाप का जाको मन नहि पास।
बँधी घोड़ी घुड़साल में मोल करत नखास।।

कोयल निति सराहिए प्रसवति काक–गृह माहिं।
करा रूखाली काल सूँ सँग लेहि उड़ जाहिं।।

धन दौलत गृह धान्य सुख वाहन सुख भरपूर।
दारा सुख मन–रमण बिनु सब सुख होवैं धूर।।

ढोल गँवार शुद्र पशु नारी हैं समाज के साज।
बिना कुशल निर्देश के करि न सकत ये काज।।

तिय तुरंग अरू ताल सुर चाहत नितहिं रियाज।
सुखी परिन्दो नीड़ में पर न बिना परवाज।।

कहिए उनको साधु–जन सुख–दुःख जिन न नसाई।
दुःख बिन सुख सूझै नही धूप–छावँ की नाई।।

पहिलो धरम शरीर को भरै आपनो पेट।
दया धरम उपजै नही हरिमन खाली पेट।।

गुरू की पीड़ा कउ गनत ज्ञान भर्यो घट चाँहि।
गिरूँ छलक पिहु चोंच में या फिर सिपहि माँहि।।

चमगादुर की सोच के या जग में नर भोत।
उनके थाम्यो नभ थम्यो उन उठहिं सबेरो होत।।

हरिमन कह कैसे निभै ओछे जन की प्रीत।
बातन ही में ढहि पड़ैं ज्यों बालू की भीत।।

तुम हमको कछु कहत हो वै हमको कछु और।
इंगित हमको करत सब अपने–अपने तौर।।

लोटन ते लोटन लगे लखि–लखि लोचन लोल।
बानन बिनु हिय हरत हैं बिनहि वित्त चित मोल।।

लोभी जिमि न बिसारयतु पल–छिन कंचन पर्ण।
छिन–छिन तिमि कामी लखै कंचुकि कुचन सुवर्ण।।

मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री सतीश कुमार नागपाल जी के विदाई समारोह एवं सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020 के अवसर पर आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता की कुछ झलकियाँ

प्रबंध निदेशक महोदय शॉल भेंट करते हुए

प्रतीक चिन्ह भेंट करती हुई बैंक की उप महाप्रबंधक महोदया

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020 के अवसर पर आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता हेतु प्राप्त प्रविष्टियाँ – 1

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020 के अवसर पर आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता हेतु प्राप्त प्रविष्टि – 2

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020 के अवसर पर आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता हेतु प्राप्त प्रविष्टि – 3

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आयोजित 72वें गणतंत्र दिवस समारोह की झलकियाँ

बैंक के प्रबंध निदेशक महोदय ध्वजारोहण करते हुए

बैंक के प्रबंध निदेशक महोदय गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित अधिकारीगण को संबोधित करते हुए

गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित अधिकारीगण – 1

गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित अधिकारीगण – 2

पृष्ठ सज्जा एवं प्रिंटिंग: जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा.लि., नई दिल्ली–110020

कोर 5–ए, भारत पर्यावास केंद्र, 3–5 तल, लोधी रोड नई दिल्ली– 110003
टेली : 011–24649031–35, फैक्स : 011–24646988
वेबसाइट : **http://www.nhb.org.in**

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

नई दिल्ली (मुख्यालय), मुम्बई, अहमदाबाद, बैंगलूरू, हैदराबाद, कोलकाता